

हिमाचल प्रदेश सरकार



वार्षिक
सामान्य प्रशासनिक
रिपोर्ट
2023-2024

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला - 171002

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	पृष्ठभूमि एवं परिचय	1
2.	योजना विभाग-स्टाफ स्थिति	1-2
3.	संगठनात्मक चार्ट	3-4
4.	संगठनात्मक ढांचा	4
4.1.	राज्य योजना बोर्ड	4-6
4.2.	मुख्यालय	6-7
	(I) प्रशासन प्रभाग	7
	(II) योजना प्रारूपण व योजना कार्यान्वयन प्रभाग	7-10
	(III) पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग, आकांक्षी जिला कार्यक्रम व आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम	11-14
	(IV) क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	15-21
	(V) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना व नवाचार प्रभाग	22-27
	(VI) नाबार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि प्रभाग	28-32
	(VII) मूल्यांकन प्रभाग	33
	(VIII) विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग	34
	(IX) कम्प्यूटर प्रभाग	35
4.3.	जिला कार्यालय	36
4.4.	सूचना का अधिकार नियम 2005	37-45

1. पृष्ठभूमि एवं परिचय :

पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने और वैज्ञानिक आधार पर उनके अनुवर्ती कार्यक्रमों के लिए सचिवीय सेवाएं प्रदान करने के लिए, योजना आयोग, भारत सरकार ने 1972-73 के दौरान हिमाचल प्रदेश में राज्य योजना मशीनरी की स्थापना की थी। वर्तमान में योजना विभाग का दायित्व राज्य विकास बजट प्राथमिकताओं एवं सकल विकास बजट परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों/सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा वार्षिक राज्य विकास बजट को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, विकेन्द्रीकृत नीति को बढ़ावा देना, विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की नियमित समीक्षा, योजना विकास बजट का कार्यान्वयन, बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विश्लेषण और नाबार्ड से निधि प्राप्त आर.आई.डी.एफ. योजनाओं का कार्यान्वयन आदि कार्य किये जा रहे हैं। योजना विभाग द्वारा जन-शक्ति एवं रोजगार सृजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम, सतत् विकास लक्ष्य, आंकाक्षी जिला कार्यक्रम/आंकाक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, नीति आयोग के साथ विभिन्न मुद्दों पर समन्वय इत्यादि कार्य भी किया जा रहा है।


2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति :


क्र० सं०	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अध्यक्ष, रोजगार सृजन एवं संसाधन	1	0	1
2.	अध्यक्ष, 20-सूत्रीय कार्यक्रम	1	0	1
3.	उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड	1	1	0
4.	सलाहकार (योजना)	1	1	0
5.	संयुक्त निदेशक	1	1	0
6.	उप-निदेशक	6	2	4
7.	अनुसंधान अधिकारी/जिला योजना अधिकारी	22	15	7
8.	साख योजना अधिकारी	10	10	0
9.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	8	9
10.	सांख्यिकीय सहायक	21	13	8
11.	गणक	2	2	0

12.	सिस्टम ऐनालिस्ट	1	1	0
13.	प्रोग्रामर	1	1	0
14.	कार्यक्रम योजना अधिकारी	1	0	1
15.	संगणक संचालक	1	0	1
16.	निजि सचिव	1	0	1
17.	निजि सहायक	2	0	2
18.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	1	0
19.	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	6	0
20.	आशुत्कक	3	3	0
21.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	20	11	9
22.	अधीक्षक श्रेणी- I	1	0	1
23.	अधीक्षक श्रेणी- II	2	1	1
24.	वरिष्ठ सहायक	16	11	5
25.	लिपिक	12	11	1
26.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1	1	0
27.	चालक	5	5	0
28.	चपड़ासी	20	19	1
29.	फ़ाश	1	1	0
30.	जमादार	1	1	0
31.	सफ़ाई कर्मचारी	1	1	0
कुल		180	127	53

- राज्य योजना बोर्ड तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्षों के वेतन व भत्तों के बारे में सरकार द्वारा उनके मनोनीत होने के समय पर निर्णय लिया जाता है ।

3. संगठनात्मक चार्ट :





4. संगठनात्मक ढांचा

योजना विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विवरण निम्न है:-

1. राज्य योजना बोर्ड।
2. मुख्यालय।
3. जिला कार्यालय।

4.1 राज्य योजना बोर्ड:

1. राज्य योजना बोर्ड की संरचना:-
 - (i) अध्यक्ष-माननीय मुख्यमंत्री

(ii) **उपाध्यक्ष – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त**

(iii) **गैर-सरकारी सदस्य**

1. समस्त केबिनेट मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।
2. हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समस्त सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) – अलग से अधिसूचित ।
3. किसान, उद्योग एवं व्यापार, अनुसूचित जाति, जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के एक-एक प्रतिनिधि – अलग से अधिसूचित ।
4. भूतपूर्व सांसद/विधायक एवं वर्तमान विधायक-अलग से अधिसूचित ।
5. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव/सरकारी अधिकारी-अलग से अधिसूचित ।

(iv) **सरकारी सदस्य**

1. मुख्य सचिव
2. समस्त प्रशासनिक सचिव
3. हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति

(v) **पदेन सदस्य (Ex Officio)**

1. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज
2. सी.जी.एम. नाबार्ड, शिमला

(vi) **सदस्य सचिव : सलाहकार (योजना)**

II. नियुक्ति की शर्तें: सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं।

III. योजना बोर्ड मुख्यालय: योजना बोर्ड का मुख्यालय शिमला है परन्तु इसकी बैठकें किसी भी स्थान पर अध्यक्ष की अनुमति से की जा सकती हैं।

IV. योजना बोर्ड के कार्य:

- राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश की योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण।
- वित्तीय संसाधनों एवं जन-शक्ति की संगठनात्मक एवं संस्थापक योग्यताओं का आकलन।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण सैक्टर, जिलों, क्षेत्रों इत्यादि में विकास का आकलन।
- प्रदेश के सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु योजना तैयार करना, राज्य सरकार के वार्षिक विकास बजट को तैयार करने में सहायता करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास आकलन करना ताकि राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सके।
- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं कारणों की पहचान तथा राज्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यन्वयन का निर्धारण।

- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विकासात्मक असंतुलों को दूर करने के लिए नीति निर्धारण तथा जिला एवं क्षेत्रीय योजनाओं के प्रारूपीकरण में सहायता करना ।
- योजना कार्यन्वयन की सामयिक समीक्षा तथा प्रदेश की नीति एवं कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव ।
- चालू कार्यक्रमों की विवेचनात्मक समीक्षा तथा कार्यक्रमों के निरन्तरीकरण का सुझाव ।
- बेराजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ।
- सरकार द्वारा बोर्ड को प्रेषित आर्थिक विकास के मामलों पर सलाह देना ।
- वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं नीतियों का विश्लेषण करना और प्रदेश के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यन्वयन एवं सुधार के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना ।
- योजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण करना ।
- सरकारी निगमों एवं बोर्डों की कार्य प्रणाली का परीक्षण तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव देना ।
- जिला स्तर पर योजना स्कीमों के कार्यन्वयन में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा इन कठिनाईयों के [निराकरण एवं समाधान](#) के उपाय सुझाना ।
- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं निगमों का मूल्यांकन करना ।

4.2. मुख्यालय:

सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु योजना विभाग निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य कर रहा है :-

1.	सम्बन्धित मंत्री	माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2.	प्रशासनिक सचिव	प्रधान सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
3.	विभागाध्यक्ष	सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

सलाहकार (योजना), विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग जैसे कि योजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्प्यूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, 20-सूत्रीय कार्यक्रम, आर.आई.डी.एफ., विधायक प्राथमिकताएँ, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAPs), SDGs, आंकाक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम कार्य कर रहे हैं। ये सभी प्रभाग संयुक्त निदेशक/ उप-निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं। संयुक्त निदेशक, सलाहकार (योजना) के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कार्य निष्पादन के लिए सलाहकार (योजना) का सहयोग करते हैं।

संयुक्त निदेशक, कार्यालय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। प्रभागानुसार उद्देश्य, कार्यक्रम, विकास बजट आवंटन, व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

I. प्रशासन प्रभाग:

संयुक्त निदेशक, (योजना) को विभाग में कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया गया है। प्रशासन प्रभाग संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करता है।

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कार्य करता है। प्रभाग के मुख्य कार्य जैसे कि रिक्त पदों का भरना, पदोन्नति, स्थानांतरण, अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, स्थाईकरण, भण्डार, स्थापना, बजट, लेखा आपत्ति, पीएसी, सीएजी, व अन्य विविध कार्य जो प्रभाग को सौंपे गए हैं, किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य निष्पादित किए गए हैं।

II. योजना प्रारूपण व योजना कार्यान्वयन प्रभाग :

वर्ष (2023-24) में योजना प्रारूपण व योजना कार्यान्वयन प्रभाग को सौंपे गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है :

योजना प्रारूपण:

बजट प्रारूपण प्रभाग मुख्य रूप से वार्षिक विकास बजट प्रारूपण हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों /विभागाध्यक्षों व अन्य हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करता है। इन बैठकों में हुई विस्तृत चर्चा के बाद राज्य में उपलब्ध संसाधनों व प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक विकास बजट का निर्धारण करता है। बजट निर्धारित करते समय जनजातीय विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित प्रतिशतता मापदण्ड को भी सुनिश्चित कर विकास बजट को अन्तिम रूप देता है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाग वार्षिक विकास बजट को अनुमोदन प्राप्त करने हेतु राज्य योजना बोर्ड की बैठक का आयोजन भी करता है।

(क) बजट प्रारूपण प्रभाग द्वारा राज्य के विकास बजट (2024-25) का मसौदा तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया की गई:-

1. सभी सम्बन्धित विभागों से माह अक्टूबर में विकास बजट प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया।
2. वार्षिक विकास बजट (2024-25)के लिए विभिन्न विभागों की विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हेतु माह अक्टूबर, 2023 में श्रृंखलावार बैठकें आयोजित की गई थी।
3. विस्तृत चर्चा के बाद वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक विकास बजट का आकार निर्धारित किया गया और विकास शीर्ष वार विकास बजट तैयार करके Specific earmarking सहित सभी विभागाध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किए गए कि वे वर्ष 2024-25 के विकास बजट को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष /एसओई

वार तैयार करके वित्त विभाग को सम्बन्धित बजट अनुदान मांगों में सम्मिलित करने के लिए प्रेषित करें।

4. वार्षिक विकास बजट (2024-25) का कुल आकार मुबलिंग 15269.74 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया जिसमें से राज्य विकास बजट के लिए मुबलिंग 9989.49 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय विकास बजट के लिए मुबलिंग 5280.25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए जिसे राज्य विधान सभा ने बजट सत्र के दौरान अनुमोदित किया गया। अतः क्षेत्रवार बजट विवरण तालिका 1 व 2 में निहित है।

तालिका-1 राज्य विकास बजट

(रु० करोड़ों में)

1.	2.	3.
क्रम संख्या	सैक्टर	वार्षिक राज्य विकास बजट (2024-25)
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	1009.94
2.	ग्रामीण विकास	287.05
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.50
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	300.66
5.	ऊर्जा	589.30
6.	उद्योग एवं खनन	92.41
7.	संचार एवं परिवहन	2681.84
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण/ सूचना एवं प्रौद्योगिकी	41.20
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	885.12
10.	सामाजिक सेवाएं	3985.49
11.	सामान्य सेवाएं	114.98
	कुल	9989.49

तालिका -2 केन्द्रीय विकास बजट

(रु० करोड़ों में)

1.	2.	3.
क्रम संख्या	सैक्टर	वार्षिक केन्द्रीय विकास बजट (2024-25)
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	233.26
2.	ग्रामीण विकास	1001.70
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	13.50
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	586.33

5.	ऊर्जा	0.00
6.	उद्योग एवं खनन	17.92
7.	संचार एवं परिवहन	800.01
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण /सूचना एवं प्रौद्योगिकी	0.00
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.28
10.	सामाजिक सेवाएं	2572.23
11.	सामान्य सेवाएं	55.02
	कुल	5280.25

(ख) बजट आश्वासनों का कार्यान्वयन।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को अंतिम रूप देने के बाद बजट प्रारूपण प्रभाग ने बजट आश्वासनों के विभागवार पैरे तैयार किए गए। इन बजट आश्वासनों को हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड किया गया था व सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से अपने विभागों से सम्बन्धित बजट आश्वासनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। अप्रैल, 2023 में मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई थी व बैठक की कार्यवाही तैयार कर सभी सम्बन्धित सचिवों व विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

(ग) जैन्डर बजटिंग पुस्तिका।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को समाप्त करने व लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक बजट 2024-25 में अलग से जैन्डर बजटिंग पर एक विस्तृत अध्याय व स्टेटमेंट तैयार किया गया। इस पुस्तिका में राज्य में चल रहे ऐसे सभी कार्यक्रमों /योजनाओं का वर्णन है जिन से सीधे तौर पर महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस पुस्तिका को बजट सत्र 2024-25 के दौरान राज्य विधान सभा में अनुमोदन के लिए भी प्रस्तुत किया गया।

योजना कार्यान्वयन :

1. इस प्रभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त विचलन और पुनर्विनियोजन प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया गया। आवश्यकता व प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए ही विचलन या पुनर्विनियोजन की अनुमति दी गई।
2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिसमें व्यय की संभावनाएँ कम हों या कोई परियोजना जिसकी चालू वर्ष में क्रियान्वयन की संभावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये उसमें से कटौती करके पूरा किया गया।

3. आधिक्य प्रस्तावों को तत्काल निपटाने के लिये विभागों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं।
4. इस अवधि में सभी सम्बन्धित विभागों से उनके प्रशासनिक विभागों के माध्यम से पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव चिन्हांकित व गैर चिन्हांकित मदों में जांच और परीक्षण के लिये आमंत्रित किये गए।
5. इस अवधि में 382 मामले विभिन्न विभागों से प्रशासनिक विभागों के माध्यम से परामर्श हेतु योजना कार्यान्वयन प्रभाग में प्राप्त हुए, इनका परीक्षण किया गया तथा सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदनोपरान्त प्राप्त करने के उपरान्त उचित परामर्श सम्बन्धित विभागों को दिया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों से कई प्रस्ताव ई-ऑफिस पर भी प्राप्त हुए, जिनका परीक्षण किया गया।
6. बजट के अनुरूप योजना कार्यान्वयन करने के लिये सम्पूर्ण वार्षिक योजना को सॉफ्टवेयर के माध्यम से बजट से जोड़ा गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना कार्यान्वयन प्रभाग द्वारा इस अवधि के दौरान निम्न गतिविधियाँ भी की गई हैं:-

1. सतत विकास लक्ष्य:

चूंकि योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश में SDGs को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, इसलिए SDGs के सम्बन्ध में सभी पत्राचार योजना कार्यान्वयन प्रभाग में निपटाए गए।

2. भारत सरकार से विशेष सहायता:

चूंकि भारत सरकार 2020-21 से विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए राज्यों को विशेष सहायता जारी कर रही है, इसलिए इस प्रभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त विशेष सहायता से सम्बन्धित पत्राचार किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार को भारत सरकार से विशेष सहायता के रूप में मुबलिग 1515.91 करोड़ प्राप्त हुए जिसे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए जारी किया गया।

III. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना व 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग:

1. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना:

प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना शुरू की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति 1995-96 से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना से सम्बन्धित नीति में सरकार के निर्णयानुसार समय-समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:-

(क) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना राज्य के दस जिलों में (जनजातीय जिलों को छोड़कर) कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना में पिछड़ा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

(i) **पिछड़े घोषित विकास खण्ड** : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायतें पिछड़ी घोषित हों, पिछड़े विकास खण्ड घोषित किए गए हैं। प्रदेश में कुल दस विकास खण्ड पिछड़े घोषित हैं जिनमें कुल 392 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।

(ii) **कंटीगुअस (Contiguous) पंचायतें** : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछड़ी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछड़ी पंचायतों का समूह घोषित किया गया। प्रदेश में कुल 15 पिछड़ी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 137 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।

(iii) **बिखरी पंचायतें (Dispersed)**: जिन पिछड़ी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछड़ी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछड़ी पंचायतों का समूह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित किया गया। प्रदेश में कुल 125 बिखरी हुई पिछड़ी पंचायतें हैं।

(ग) चयनित 13 विकास शीर्षों में पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए परिव्यय चिन्हांकित किया जाता है।

(घ) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है।

(ङ) जिलों को पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछड़ी पंचायतों के अनुपात में किया जाता है।

(च) उप-योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है। उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को इस उप-योजना का क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है।

प्रदेश में वर्ष 2023-24 तक कुल 3615 पंचायतों में से 654 पंचायतें पिछड़ी घोषित की गई हैं। सरकार द्वारा उप-योजना के लिए अलग बजट की व्यवस्था मांग संख्या-15 (योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना) में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मु0 89.82 करोड़ रु0 का बजट जिलों को पूंजीगत कार्यों के लिए आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मु0 105.61 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान योजना में रखा गया है।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2023-24 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए पूंजीगत परिव्यय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(रु0 लाखों में)

क्रम संख्या	जिला	पिछड़ी घोषित पंचायतों की संख्या	पिछड़ा क्षेत्र उप योजना 2023-24 परिव्यय/व्यय (पूंजीगत)	
			योजना परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5
1	बिलासपुर	15	206.01	176.25
2	चम्बा	176	2417.17	2022.30
3	हमीरपुर	14	192.28	172.28
4	काँगड़ा	18	247.21	177.21
5	कुल्लू	91	1249.79	1069.52
6	मण्डी	208	2856.66	2424.47
7	शिमला	95	1304.72	934.15
8	सिरमौर	29	398.28	350.64
9	सोलन	4	54.94	6.50
10	ऊना	4	54.94	6.86
	योग	654	8982.00	7340.18

2. 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग:

बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 (बीसूका-2006) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता दूर करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं जैसे कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भू-सुधार, सिंचाई, पेयजल, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई-गवर्नेंस, इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है ।

राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में शामिल कार्यक्रमों/योजनाओं को राज्य सरकार एवं सम्बन्धित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर अनुश्रवण किया जाता है ।

पुनःसंरचित बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में मूल रूप में 20 सूत्र और 65 अनुश्रवण योग्य मदें हैं जो कि प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग होती हैं । 2009-10 तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के कार्यान्वयन का आकलन भारत सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग के आधार पर होता था परन्तु उसके उपरान्त रैंकिंग को समाप्त कर दिया गया है ।

2007 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के समन्वय, समीक्षा, अनुश्रवण तथा त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। राज्य सरकार बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्राप्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राज्य और जिला स्तर पर तिमाही आधार पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों/उपलब्धियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियाँ सभी जिलों में त्रैमासिक बैठकों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती हैं । इन बैठकों की अध्यक्षता माननीय मुख्य मन्त्री/मन्त्री/विधायक द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त सभी जिलों में उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी / जिला योजना अधिकारी भी समय-समय पर जिलों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा / अनुश्रवण करते हैं ।

3. आकांक्षी जिला कार्यक्रम:-

आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में 112 अति पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश से आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किए गए जिलों में से एक था। राज्य इस कार्यक्रम के तहत मुख्य संचालन के रूप में प्रत्येक जिलों के सुधार पर ध्यान केन्द्रित करेंगे तथा उन बिन्दुओं की पहचान करेंगे जिसमें सुधार की सम्भावना मौजूद है। इसी आधार पर नीति आयोग जिलों की मासिक आधार पर रैंकिंग प्रदान करेंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 49 विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी करता और चैंपियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड पर सम्बन्धित जिलों द्वारा अपलोड किए जा रहे रीयल-टाइम डेटा ट्रैकिंग के माध्यम से आकांक्षी जिलों के सुधार का विश्लेषण करता है। अच्छे रैंक प्राप्त करने वाले जिलों को नीति आयोग द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। चम्बा जिलें को अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए 2018-2023 तक नीति आयोग द्वारा 4 बार सम्मानित किया गया और मु0 9.00 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

इसके अतिरिक्त मई, 2023 में ओवरऑल अच्छे प्रदर्शन के आधार पर चम्बा जिला को तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अधिकृत की गई है, जिसका प्रस्ताव जिला चम्बा द्वारा नीति आयोग को भेजा जाना प्रस्तावित है।

4. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम:-

माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2023 में शुरू किया गया। शुरुआत में इस कार्यक्रम में देश भर से 500 ब्लॉकों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के पैटर्न के आधार पर लागू किया जाएगा। नीति आयोग राज्यों के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचा आदि क्षेत्रों को कवर करने वाले विकास संकेतकों और उनके प्रदर्शन के आधार पर आकांक्षी ब्लॉकों की तिमाही रैंकिंग जारी करेगा। राज्य सरकार ने 6 अल्प विकसित विकास खण्डों को आकांक्षी ब्लॉक चयनित किया है, जिन्हें नीति आयोग द्वारा भी अनुमोदित किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

1. पांगी ब्लॉक जिला चम्बा।
2. तीसा ब्लॉक जिला चम्बा।
3. पूह ब्लॉक जिला किन्नौर।
4. निरमण्ड ब्लॉक जिला कुल्लू।
5. कुपवी ब्लॉक जिला शिमला।
6. छौहारा ब्लॉक जिला शिमला।

IV. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग

राज्य स्तर पर योजना विभाग में विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के संचालन तथा अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

आधारभूत स्तर पर आधारिक संरचना के रूप में विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों की प्रभावी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने तथा सरकार के प्रयासों / स्रोतों को सुदृढ़ करने के लिए विकास में जन सहयोग कार्यक्रम को 1991-92 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक रूप में व अग्रिम नकद भागीदारी द्वारा है जिसको सम्बन्धित उपायुक्त के नाम बैंक / डाकघर में खोले गए खातों में जमा करवानी पड़ती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान सभी गैर जनजातीय जिलों को प्रथम और द्वितीय तिमाही में रु0 2500.00 लाख जारी किये गए। राज्य सरकार के निर्णयानुसार जिलों को तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही की देय राशि को प्रदेश में बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई हेतु उपयोग किया गया। वर्ष 2023-24 में जनजातीय जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 210.00 लाख एक मुश्त जारी किये गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के लिए 6050.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न है:-

1. शहरी क्षेत्रों में, सामुदायिक और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 50:50 है, जबकि सरकारी परिसम्पतियां जैसे स्कूल भवन, स्वास्थ्य संस्थान एवं पशु चिकित्सा संस्थान, पेयजल आपूर्ति व सीवरेज योजनाओं का निर्माण और हैण्डपम्प स्थापित करने के लिए लागत भागीदारी 25:75 है, लेकिन इस सुविधा का प्रयोग समुदाय के लिए होगा न की किसी परिवार अथवा व्यक्ति विशेष के लिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 25:75 है, परन्तु जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़ा घोषित पंचायतों और मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा बसे क्षेत्रों में समुदायक और सरकारी लागत भागीदारी 15:85 है।
3. कोई व्यक्ति सार्वजनिक सम्पति, कार्य की लागत का 50% हिस्सा देकर निर्माण करवा सकता है जो विशुद्ध रूप से परोपकारी रूप में हो या अपने पूर्वजों के पुण्यस्मरण के लिए हो।
4. स्वीकृत कार्यों का निर्माण स्वीकृति के एक वर्ष के अन्तराल में पूर्ण करना पड़ता है।
5. जिन परिसम्पतियों का रखरखाव करना होता है उनके रखरखाव के लिए समुदाय और सरकार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. सभी कार्य जिनकी अनुमानित लागत 5.00 लाख रुपए से अधिक है का निर्माण सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है न की सोसाईटियों / स्थानीय समितियों द्वारा।
7. रु0 5.00 लाख रुपए तक के कार्यों का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के सहायक/ कनिष्ठ अभियन्ता की देख-रेख में किया जाना सुनिश्चित किया जाता है और प्रत्येक कार्य का मापन उस क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक की माप-पुस्तक (measurement book) में दर्ज किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रकार की परियोजनाएं/ परिसम्पतियां स्वीकृत की जा सकती है:-

1. सरकारी शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण।
2. बहुउद्देशीय सामुदायिक/ सार्वजनिक परिसम्पत्ति का निर्माण।
3. मोटर योग्य सड़कों एवं रज्जू मार्गों का निर्माण।
4. सिंचाई योजनाओं / पेयजल स्कीमों का निर्माण/ हैण्ड पम्पों की स्थापना।
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के भवनों का निर्माण।
6. महत्वपूर्ण मिसिंग लिंकस का प्रावधान जैसे कि तीन फेज की बिजली की लाइनें, एक्सरे प्लांट और रोगी वाहन इत्यादि।
7. बेसहारा जानवरों के लिए गो-सदन की स्थापना।
8. सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का प्रावधान।

2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन (SDP) :

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 1993-94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया था। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंकस इत्यादि का कार्यान्वयन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान सभी गैर जनजातीय जिलों को रु0 10,584.20 लाख जारी किये गए। प्रदेश में भारी बरसात के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 तक जिलों में अव्ययित पड़ी राशि से व्यक्तिगत राहत हेतु रिटेनिंग वॉल/ब्रेस्ट वॉल के पुनर्निर्माण तथा नालों के तटीकरण की अनुमति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये इस योजना के अन्तर्गत 37,290.90 लाख रु0 का प्रावधान रखा गया है।

विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:-

1. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों की स्वीकृति जिला स्तरीय योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही की जाती है।
2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल ऐसे कार्यों पर ही विचार किया जाना चाहिए जिनके प्राक्कलन तथा डिजाईन तकनीकी रूप से तकनीकी प्राधिकारी / अर्ध सरकारी / सरकारी उपक्रमों में तकनीकी शक्तियों के दायरे में किया हो। सरकारी कर्मियों/तकनीकी अधिकारी जो तकनीकी रूप से प्राक्कलनों को अनुमोदित कर सकता है वह ही कार्य का आकलन और भुगतान के संवितरण को प्राधिकृत करने में सक्षम है।
3. उपायुक्त क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है बशर्ते कि चयनित विकास मदों और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान हो।
4. इस योजना के अन्तर्गत न ही किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय/दायित्व और न ही स्वीकृतियाँ को इकट्ठा व किसी कार्य को वित्तीय वर्ष से अधिक चरणबद्ध करना स्वीकार्य है।
5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को समुदाय को लाभान्वित करना चाहिए जिसमें कम से कम पाँच परिवार होने चाहिए। कोई भी कार्य व्यक्ति विशेष / एकल परिवार को लाभान्वित करता हो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं किया जाता है।
6. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हीं कार्यों को स्वीकृत किया जाता है जिनका निर्माण एक ही वित्तीय वर्ष या स्वीकृति से एक वर्ष के अन्तराल में किया जाना होता है।

3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना:

प्रदेश सरकार ने विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1999-2000 से “विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना” शुरू की है। इस योजना को वर्ष 2001-02 में बन्द कर दिया था परन्तु वर्ष 2003-04 में 24.00 लाख रु० बजट प्रावधान प्रति निर्वाचन क्षेत्र के साथ आरम्भ कर दिया गया। प्रदेश सरकार वर्षानुवर्ष इस योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान बढ़ा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान सभी गैर जनजातीय जिलों को रु० 13854.36 लाख जारी किये गए तथा जनजातीय जिलों को रु० 568.43 लाख एक मुश्त जारी किये गए। प्रदेश में भारी बरसात के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत सरकार ने इस कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में विशेष छूट देते हुए इस कार्यक्रम के तहत स्वीकार्य कार्यों में रिटेनिंग वॉल/ब्रेस्ट वॉल के पुनर्निर्माण तथा नालों के तटीकरण की अनुमति प्रदान की गई।

सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में अतिरिक्त प्रावधान करते हुए पत्र संख्या: पीएलजी(एफ) आरडीपी/5-1/2022-23-VKVN Y दिनांक 30 जनवरी 2024 के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में केवल सामुदायिक लाभ हेतु Overhead/Underground पावर केब्लस को बदलने/नए लगाने तथा मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के लिए 15000.00 लाख रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किए जा सकते हैं:-

1. विभिन्न पाठशालाओं में कमरों का निर्माण।
2. आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों व स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण।
3. हैंड पम्पों की स्थापना।
4. ऐसे गावों के लिये मोटर योग्य अथवा जीप योग्य लिंक सड़कों का निर्माण जो पहले से सड़कों से न जुड़े हुए हों।
5. गांवों में सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण जो कि ग्रामीण स्तर पर विभिन्न संस्थाओं अथवा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकें।
6. स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे उपकरणों का प्रावधान जो वहां पहले से विद्यमान न हों जैसे कि एक्सरे मशीनें, अल्ट्रासाउंड मशीनें और ई.सी.जी. मशीनें इत्यादि।
7. स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एम्बुलेंस का क्रय बशर्ते कि उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए संबंधित संस्था/विभाग के पास पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो।
8. ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों अथवा पुलियों का निर्माण, विभिन्न खड्डों, नदी-नालों इत्यादि पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए Foot Bridges का निर्माण।
9. ग्रामीण रास्ते केवल पक्के concrete based or black topped तथा जिसमें दो पहिया वाहन चल सकें।
10. छूटी हुई बस्तियों के लिए पेय जल योजनायें जहां अतिरिक्त पाईप लगा कर सार्वजनिक नल लगाए जाने की आवश्यकता हो।
11. स्थानीय स्तर की सिंचाई स्कीमें।
12. पाठशालाओं में शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त बस अड्डों आदि स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण भी करवाया जा सकता है।
13. दूर-दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतिकरण (LT Extensions).

14. स्कूल भवनों की मुरम्मत तथा स्कूल के खेल मैदानों का निर्माण कार्य।
15. पंचायतों तथा शहरी निकायों में व्यायामशाला के निर्माण का कार्य।
16. बस अड्डों का निर्माण व रख-रखाव।
17. ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों की मुरम्मत जैसे कि सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों, स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि।
18. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मुरम्मत व रख-रखाव।
19. सामुदायिक Wi-Fi लगाने का प्रावधान (Non-recurring expenditure).
20. निर्माण कार्यों के साथ-साथ-अन्य लोक कल्याणकारी योजनाएँ जैसे कि स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, स्कूलों में खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर तथा कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना।
21. पंजीकृत महिला मण्डलों को बर्तन व फर्नीचर तथा पंजीकृत युवक मण्डलों को खेल उपकरण (जिम) तथा पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को उपरोक्त मदों के क्रय हेतु अनुदान का प्रावधान (अधिकतम रु0 50,000 प्रति महिला मण्डल/ युवक मण्डल/ स्वयं सहायता समूह)।
22. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना से विधायक अपनी निधि से (15 लाख पर रूपये तक) “मुख्यमन्त्री लोक भवन” कार्यक्रम के अन्तर्गत बनने वाले सामुदायिक भवन को और बड़ा करने के लिए राशि प्रदान करने हेतु अनुशंसा कर सकते हैं।
23. शहीदों के बलिदान की स्मृति में शहीदी द्वारों का निर्माण।
24. प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में केवल सामुदायिक लाभ हेतु Overhead/Underground पावर केब्लस को बदलने / नए लगाने का प्रावधान।
25. मुख्यमन्त्री लोक भवन योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि का प्रावधान।
26. मुख्यमन्त्री आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना से किसी भी श्रेणी के लाभार्थी को आवास बनाने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं।

4. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना:

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को नजदीकी मोटर योग्य सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से कच्चे रास्तों को पक्का किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पुलियों / पुलों का भी निर्माण किया जाता है। प्रदेश सरकार ने पहाड़ी और

मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों के मध्यनजर 2 कि०मी० तक जीप योग्य / ट्रेक्टर योग्य सम्पर्क मार्गों के निर्माण की अनुमति दी है। मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना वर्ष 2003-04 में गैर जनजातीय जिलों के लिए आरम्भ की थी। वर्ष 2004-05 में इस योजना को बन्द कर दिया था और वर्ष 2008-09 में पुनः शुरू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत सभी गैर जन-जातीय जिलों को 6.08 करोड़ रूपए आवंटित किये गए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान सभी गैर जनजातीय जिलों को रु० 891.00 लाख जारी किये गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के लिए 980.10 लाख रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न है:-

1. इस योजना के अन्तर्गत बजट धनराशि का आवंटन योजना विभाग द्वारा उपायुक्तों को जिले की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या तथा जिले में आबाद गांवों की संख्या में 50:50 के अनुपात पर किया जाता है।
2. इस योजना के माध्यम से किसी प्रकार के भी आवर्ती राजस्व व्यय के लिए प्रावधान नहीं किए जाएंगे और न ही कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृतियां मान्य होंगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित पक्के सम्पर्क रास्तों का रख-रखाव सम्बन्धित पंचायत अपने स्रोत/ राजस्व से करेंगे। इस प्रकार का अनुबन्ध स्वीकृति प्रदान करने से पहले सम्बन्धित ग्राम पंचायत से लेना आवश्यक होगा।
4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य के तकनीकी अनुमानों का अनुमोदन ग्रामीण विकास विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता निर्धारित तकनीकी शक्तियों के अनुसार करेंगे।
5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित कार्यों को जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति में अनुमोदित करवाना आवश्यक है।
6. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले पक्के रास्तों का कार्यान्वयन स्वीकृत धनराशि के अन्दर ही होगा। इस योजना के अन्तर्गत संशोधित स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होगा।
7. सड़क की अलायनमेंट लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित होनी चाहिए ताकि लोक निर्माण विभाग के मानदंडों के अनुसार जीप योग्य सड़क को बाद में अपग्रेड करके बस योग्य सड़क बनाई जा सके।

5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना नियमित दिशानिर्देशों द्वारा शासित की जाती है, जो पहली बार फरवरी 1994 में जारी किये गए थे और तब से इन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार ने नवीनतम संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गए हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत निधि प्रवाह की पूरी प्रक्रिया एक आई.टी. प्लेटफॉर्म (E-Sakshi) पर संचालित होगी जिससे माननीय सांसदों और केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियों सहित सभी हितधारकों के धन व कार्यों की स्थिति की निगरानी की जा सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विकासकार्यों की सिफारिश करते हैं। सांसदों की संस्तुति पर विभिन्न विकासकार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 5.00 करोड़ रु० की राशि प्रति सांसद जारी की जाती है। इस संदर्भ में 5 मार्च, 2024 को जिला शिमला में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया एवं संशोधित दिशा-निर्देशों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सांकेतिक सूची

1. सार्वजनिक एवं सामुदायिक भवन
2. सार्वजनिक सुविधाएँ, सुरक्षा और संरक्षा
3. शिक्षा
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य
5. पीने का पानी व स्वच्छता
6. सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ नियन्त्रण प्रणाली
7. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन
8. कृषि और किसान कल्याण
9. ऊर्जा आपूर्ति और वितरण प्रणाली
10. रेलवे, सड़कें, पुल और रास्ते
11. पर्यावरण, जंगली जानवर, जंगल और अन्य प्रकृतिक संसाधन
12. सार्वजनिक मनोरंजन सुविधाएँ, खेलकूद और पार्क

V. बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजना व नवाचार प्रभाग:-

1. बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाएं :

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी) प्रदेश में संसाधनों को पूरक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा जिनके अन्तर्गत राज्य को धन अनुदान व ऋण के रूप में 90:10 के अनुपात में भारत सरकार से प्राप्त होता है।

योजना विभाग में बाह्य सहायता परियोजना प्रभाग को विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य वित्त सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजनाओं के विश्लेषण का कार्य दिया गया है। इस प्रभाग का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार को वित्तीय प्रबन्धन के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण करता है तथा विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन एवं समीक्षा हेतु पत्राचार करता है। प्रशासनिक सचिव, योजना, हि0प्र0 सरकार को प्रदेश की सभी बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण, वानिकी, सिंचाई व सार्वजनिक स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, बागवानी एवं शहरी विकास आदि के क्षेत्रों में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को लागू कर रही है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य की प्राप्ति के साथ-साथ ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

बाह्य सहायता एजेंसियों से बाह्य सहायता हेतु परियोजना को भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पहले एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) को अस्थाई वित्तीय विवरण के साथ तैयार करना आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश सभी विभागों को समय-समय पर अनुपालना हेतु प्रेषित किए जाते हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसे सभी प्रस्तावों को भारत सरकार में भेजने से पहले गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा समीक्षा/अनुमोदन किया जाता है।

1 नवम्बर, 2018 से राज्य क्षेत्र की परियोजना के मामले में प्राथमिक परियोजना प्रस्ताव को आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भेजा जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा वर्तमान में बाह्य सहायता एजेंसियों से बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) ऑनलाइन ही भारत सरकार को प्रेषित की जा रही है। योजना विभाग को इस पोर्टल के संचालन के लिए राज्य नोडल प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। योजना विभाग ने राज्य की परियोजनाओं को बाह्य सहायता हेतु भारत सरकार को ऑनलाइन प्रेषित करने के लिए व्यापक और सरलीकृत दिशा-निर्देश व प्रक्रिया तैयार कर मौजूदा दिशा-निर्देशों को तदनुसार संशोधित कर अनुपालना हेतु सभी विभागों को प्रेषित किया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान क्रियान्वित बाह्य सहायता परियोजनाएँ, पाइपलाइन परियोजनाएँ, नई परियोजनाओं के ऋण हस्ताक्षरित समझौता का विवरण निम्न है :-

1. 2023-24 के दौरान कार्यान्वित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग	परियोजना की लागत (रु० करोड़ में)	बाह्य सहायता एजेंसी	शुरू करने की तिथि	समापन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	हि०प्र० फॉरेस्ट ईको सिस्टम जलवायु प्रूफिंग परियोजना	वन	308.45	के०एफ० डब्ल्यू	दिसम्बर 2015	मार्च 2026
2.	हि०प्र० वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन और आजीविका परियोजना	वन	800.00	जाईका	अप्रैल 2018	मार्च 2028
3.	स्त्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा सिंचित कृषि एकीकृत विकास परियोजना	वन	700.00	विश्व बैंक	मार्च 2020	मार्च 2025
4.	पश्चिमी हिमालय में वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का सतत प्रबन्धन	वन	32.00	बी०एम०जेड	सितम्बर 2021	सितम्बर 2024
5.	ग्रीन एनेर्जी कॉरिडोर	विद्युत	840.00	के०एफ० डब्ल्यू	अक्टूबर 2015	जून 2024
6.	दियोथल चांजू और चांजू-III	विद्युत	692.00	ए०एफ०डी०	जुलाई 2017	सितम्बर 2026
7.	हाईड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना देवी कोठी (15 मे०वा०), साई कोठी-I (15 मे०वा०), साई कोठी-II (16.50 मे०वा०), हेल (18 मे०वा०)	विद्युत	880.00	के०एफ० डब्ल्यू	अक्टूबर 2022	जून 2030
8.	हि०प्र० विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	विद्युत	2000.00	विश्व बैंक	नवम्बर 2023	जून 2028
9.	हि०प्र० उद्यान विकास परियोजना	उद्यान	1066.00	विश्व बैंक	जून 2016	जून 2024
10.	हि०प्र० उपोषण कटिबन्धीय बागवानी सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना (हि०प्र० शिवा परियोजना)	उद्यान	1292.00	ए०डी०बी०	जून 2023	जून 2028
11.	हि०प्र० कौशल विकास परियोजना	तकनीकी शिक्षा	650.00	ए०डी०बी०	मई 2018	जून 2024
12.	हि०प्र० जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना	शहरी विकास	280.01	विश्व बैंक	अप्रैल 2019	दिसम्बर 2025
13.	शिमला हि०प्र० जल आपूर्ति और सिवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम	शहरी विकास	1825.00	विश्व बैंक	दिसम्बर 2021	दिसम्बर 2026
14.	हि०प्र० राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना	लोक निर्माण	799.68	विश्व बैंक	अक्टूबर 2020	सितम्बर 2026
15.	हि०प्र० फसल विविधीकरण उन्नत परियोजना	कृषि	1010.60	जाईका	जुलाई 2021	दिसम्बर 2029
16.	हि०प्र० ग्रामीण जल आपूर्ति	जल शक्ति	745.000	एन०डी०बी०	जनवरी 2022	अगस्त 2025
17.	हि०प्र० ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना	जल शक्ति	1062.83	ए०डी०बी०	नवम्बर 2022	जून 2028
18.	हि०प्र०के पांच नगरों में स्वच्छता और जल आपूर्ति	जल शक्ति	817.00	ए०एफ०डी०	मार्च 2023	मार्च 2026
	परियोजनाओं की कुल लागत		15,801.15			

2. वर्ष 2023-24 के दौरान बाह्य सहायता परियोजना (पाईपलाईन):

क्र. सं.	परियोजनाओं की सूची	विभाग	परियोजना की अनुमानित लागत (रु० करोड़ में)	अपेक्षित बाह्य सहायता एजेंसी
1	2	3	4	5
1.	हि०प्र० बुनियादी ढांचा विकास निवेश पर्यटन कार्यक्रम	पर्यटन	2357.00	ए०डी०बी०
2.	हि०प्र० आपदा न्यूनीकरण एवं तैयारी परियोजना	राजस्व (आपदा एवं प्रबन्धन)	800.00	ए०एफ०डी०
3.	निर्माण और कार्यान्वयन नवाचार शहरी परिवहन परियोजना शिमला (रोपवे, लिफ्ट, एस्केलेटर)	परिवहन	1546.00	एन०डी०बी०
	परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत		4,703.00	

3. वर्ष 2023-24 के दौरान ऋण समझौता हस्ताक्षरित नई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग	परियोजना की लागत (रु० करोड़ में)	बाह्य एजेंसी	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	हि०प्र० उपोषण कटिबन्धीय बागवानी सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना (हि०प्र० शिवा परियोजना)	उद्यान	1292.00	ए०डी०बी०	दिनांक 08-06-2023 को ए०डी०बी० से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
2	हि०प्र० विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	विद्युत	2000.00	विश्व बैंक	दिनांक 06-11-2023 को विश्व बैंक से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

2. नवाचार:

2.1 राज्य स्तर पर नवाचार:

नवाचार:-

हिमाचल प्रदेश को एक नवोन्मेषी राज्य में बदलने और राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवों को साझा करने के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने और विभागों को नई पहल करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रतिज्ञा के साथ, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की जा रही है:

स्टेट इनोवेशन काउंसिल (एसआईएनसी)- राज्य स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय- राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य नवाचार परिषद का गठन किया, जिसमें राज्य के प्रमुख विभागों तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को एक शीर्ष निकाय के रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया है ताकि स्थानीय प्रतिभाओं, दक्षताओं, संसाधनों और क्षमताओं के लिए एक साझा मंच प्रदान करके नवीन प्रक्रियाओं और प्रथाओं को संस्थागत बनाया जा सके।

नवीन विचारों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए परिषद द्वारा राज्य स्तर पर तीन आयामी रणनीति अपनायी गई है:-

1. राज्य नवाचार कोष
2. हिमाचल प्रदेश राज्य नवाचार पुरस्कार योजना
3. राज्य स्तर पर नवाचार

1. **राज्य नवाचार कोष:** वर्ष 2013-14 में विभिन्न विभागों की नवीन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने उनके नए अभिनव विचारों को वास्तविकता में बदलने, आर्थिक लागत पर पुनरावृत्ति तथा गैप फंडिंग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया। विभिन्न विभागों की निम्नलिखित पन्द्रह योजनाओं/परियोजनाओं को राज्य नवाचार निधि (एसआईएनएफ) के तहत वित्त पोषित किया गया है:-

- Manimahesh Yatra Registration Project of District Administration Chamba
- Blood Bank Management Information System (BBMIS)
- Computerization/automation of activities of Department of Information & Public Relation
- Video Conferencing facilities in Head Office, Zonal Offices & Tribal Circles
- Document Management System of Ration Card Forms
- Digitization of Special section of HPKV University library focused on HP

- Online Planning permissions Project of Town & Country Planning Department
- Digitization of Himachal Pradesh Secretariat Library
- Online Inventory Application for Medicines/Semen Straws
- Implementation of the first phase of the automation of Allotment & Administrative wing of HIMUDA
- Developing a prototype of continuous garbage collecting mechanism collecting garbage without any intervention or wastage of time
- Development of Modern State-of-the-Art Digital Forensic Facilities in Forensic Science Laboratories in HP of RFSL, Mandi
- Setting up of video conferencing facility at RFSL, NR, Dharamshala
- Setting-up of Mini Herbal Garden & Acupressure track in Ayurvedic Health Centre, Cheog, District Shimla
- Horn Not OK Campaign

2. हिमाचल प्रदेश राज्य नवाचार पुरस्कार योजना:

इस योजना को वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति/विभाग /संस्थान द्वारा संवय और पूर्ण की गई नवीन विचारों वाली परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना और आम जनता की बड़े पैमाने पर आर्थिक लागत पर जरूरतों को पूरा करना है। सेवा वितरण में सुधार करने वाले और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने वाले नवाचारों को राज्य स्तर पर मान्यता दी जा रही है और पुरस्कृत किया जा रहा है। सर्वोत्तम नवाचार प्रथाओं को पुरस्कृत करने के लिए शुरू में छः क्षेत्रों की पहचान की गई थी। अब यह नौ क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ नवाचार का चयन क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार मानदंडों के आधार पर जांच करके उपरान्त किया जाता है और यह सिफारिशें राज्य स्तर पर पुरस्कारों के लिए राज्य नवाचार परिषद (एसआईएनसी) को प्रेषित की जाती है।

वर्ष 2014-15 के लिए पुरस्कार जीतने वाले नवाचार
1. Localized Generic para pheromone based bottle trap effective against fruit flies.
2. हिमाचल प्रदेश के जिलों के लिए भूकम्प प्रतिरोधी गैर इंजिनियरिंग भवन निर्माण मार्ग निर्देशिका
3. Low Cost Bio-Sand Filter के विकास के माध्यम से पीने के पानी से जैविक और अन्य अशुद्धियों को हटाना।
वर्ष 2015-16 के लिए पुरस्कार जीतने वाले नवाचार
1. सामाजिक विकास क्षेत्र की Tele-stroke परियोजना।
2. व्यवसायिक फसल हरड़ (टरमीनिलिया चेबूला) की अधिक ऊपज देने वाली जलवायु अनुकूल प्रजातियों की किस्में तैयार करना।

3. Ready to cook spice mix - the products.
4. तीसरी से पांचवीं कक्षा के बच्चों में सीखने की कमी को पूरा करने हेतु UDAAN कार्यक्रम।
5. सरकारी क्षेत्र में e-Services परियोजना।
वर्ष 2016-17 के लिए पुरस्कार जीतने वाले नवाचार
1. शिमला मिर्च, टमाटर और ककड़ी के लिए stem cutting propagation technology.
2. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा समय पर बच्चों तक पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए चलाया गया अभियान।
3. पहाड़ों में इस्तेमाल के लिए Domestic Solar Water Heating Panel.
4. कारागार विभाग द्वारा कैदियों के कल्याण के लिए चलाया गया हर हाथ को काम अभियान।
वर्ष 2017-18 के लिए पुरस्कार जीतने वाले नवाचार
1. Exploration of Traditional Fermented Foods of HP to prepare Innovative Health Promoting Functional Food Products with Special Therapeutic Effects.
वर्ष 2018-19 के लिए पुरस्कार जीतने वाले नवाचार
1. मुख्यमंत्री सेवा संकल्प (1100) हैल्पलाईन।
वर्ष 2019-20 व 2020-21 के लिए नवाचार पुरस्कार
वर्ष 2019-20 2020-21 व 2021-22 के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

3. राज्य स्तर पर नवाचार (स्वर्ण जयन्ती जिला नवाचार निधि):

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में “Swaran Jayanti District Innovation Fund” शासन में सुधार करने और जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।

जिला नवाचार परिषद द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों को जांच करने के लिए योजना विभाग को भेजा जाता है तत्पश्चात योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र प्रस्तावों को राज्य नवाचार परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर योजना विभाग परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल विभाग है। जिला स्तर पर जिला नवाचार परिषद, वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की आवधिक समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

VI. नाबार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आर.आई.डी.एफ.) प्रभाग:

वर्ष 1995-96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबार्ड राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू-संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं जिसमें ग्रामीण सड़कों, मार्किट यार्ड इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा। आरम्भ में यह योजना आर.आई.डी.एफ-1 के अन्तर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए थी जिसमें नाबार्ड से 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रावधान था। इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप इस योजना को आर.आई.डी.एफ. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII तथा XXIX के अन्तर्गत भी जारी रखा गया है तथा इसकी ऋण सहायता राशि को भी 90/95 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

2. राज्य सरकार नाबार्ड से आर0 आई0 डी0 एफ0 के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर रही है। मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड से परियोजनाएँ अनुमोदित करवाई हैं या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण।
2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण।
3. बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का निर्माण।
4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण।
5. प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण “सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना”।
6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना।
7. ई-अभिशासन (E-Governance)।
8. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण।
9. जल प्रवाह विकास योजना।
10. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
11. Precision Farming पद्धति अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना (पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई)।
12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना।
13. वातानुकूलित भण्डारण निर्माण।
14. सौर सिंचाई योजना।
15. पुष्प क्रान्ति योजना।
16. रोपवेज
17. मल निकासी योजना।

3. नाबार्ड द्वारा दिनांक 31-03-2024 तक प्रदेश सरकार को 11,959 करोड़ रु0 की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है जिसका ट्रांच वार विवरण निम्नलिखित है :-

(करोड़ रु0 में)

ट्रांच संख्या	कार्यक्रम की अवधि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	नाबार्ड ऋण सहायता	राज्य अंशदान	कुल स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
आर.आई.डी.एफ -I	1995-96 से 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ -II	1996-97 से 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ -III	1997-98 से 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ -IV	1998-99 से 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ -V	1999-2000 से 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
आर.आई.डी.एफ -VI	2000-01 से 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
आर.आई.डी.एफ-VII	2001-02 से 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
आर.आई.डी.एफ-VIII	2002-03 से 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ -IX	2003-04 से 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ -X	2004-05 से 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ -XI	2005-06 से 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ-XII	2006-07 से 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
आर.आई.डी.एफ-XIII	2007-08 से 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
आर.आई.डी.एफ-XIV	2008-09 से 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
आर.आई.डी.एफ-XV	2009-10 से 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
आर.आई.डी.एफ-XVI	2010-11 से 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
आर.आई.डी.एफ-XVII	2011-12 से 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
आर.आई.डी.एफ-XVIII	2012-13 से 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
आर.आई.डी.एफ-XIX	2013-14 से 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
आर.आई.डी.एफ-XX	2014-15 से 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
आर.आई.डी.एफ-XXI	2015-16 से 2018-19	170	644.94	60.75	705.69

आर.आई.डी.एफ-XXII	2016-17 से 2019-20	125	545.54	60.20	605.74
आर.आई.डी.एफ-XXIII	2017-18 से 2020-21	181	510.60	50.54	561.14
आर.आई.डी.एफ-XXIV	2018-19 से 2021-22	204	544.21	86.04	630.25
आर.आई.डी.एफ-XXV	2019-20 से 2022-23	184	752.47	72.3	825.30
आर.आई.डी.एफ-XXVI	2020-21 से 2023-24	251	844.22	82.02	926.24
आर.आई.डी.एफ-XXVII	2021-22 से 2024-25	208	1134.33	123.27	1257.60
आर.आई.डी.एफ-XXVIII	2022-23 से 2025-26	175	912.16	95.93	1008.09
आर.आई.डी.एफ-XXIX	2023-24 से 2026-27	155	918.81	87.26	1006.07
	कुल योग : (I से XXIX)	6754	11959.89	1218.54	13178.43

4. दिनांक 31-03-2024 तक उपरोक्त स्वीकृत नाबार्ड ऋण सहायता राशि 11,959 करोड़ रु० में से प्रदेश सरकार ने 9,293.50 करोड़ रु० की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है। नाबार्ड से प्राप्त आर०आई०डी०एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्तियों का वर्ष 1995-96 से 2023-24 तक विवरण निम्न तालिका में है :-

वर्ष	प्रतिपूर्ति प्राप्तियाँ (करोड़ रु० में)
1.	2.
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00

2015-16	500.00
2016-17	500.00
2017-18	500.00
2018-19	625.76
2019-20	700.00
2020-21	663.54
2021-22	699.98
2022-23	839.28
2023-24	800.00
Total	9293.50

5. नाबार्ड ऋण के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ (2006-07 से 2023-24)

(करोड़ रु० में)

क्रम संख्या	वर्ष / ट्रांच	ऋण स्वीकृत लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशतता
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11 (XVI)	560.00	412.90	73.73
6.	2011-12 (XVII)	540.00	423.69	78.46
7.	2012-13 (XVIII)	500.00	432.16	86.43
8.	2013-14 (XIX)	475.00	496.09	104.44
9.	2014-15 (XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47
11.	2016-17 (XXII)	545.00	545.54	100.10
12.	2017-18 (XXIII)	500.00	510.60	102.12
13.	2018-19 (XXIV)	515.00	544.21	105.67
14.	2019-20 (XXV)	700.00	752.47	107.50
15.	2020-21 (XXVI)	800.00	844.22	105.53
16.	2021-22 (XXVII)	1000.00	1134.33	113.43
17.	2022-23 (XXVIII)	800.00	912.16	114.00
18.	2023-24 (XXIX)	800.00	918.81	114.85

6. प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को नाबार्ड को स्वीकृति के लिए प्रेषित करना तथा योजनाओं की समीक्षा, इत्यादि के सम्बन्ध में योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है

।

7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों का ब्यौरा :-

क्रम संख्या	बैठक का नाम	बैठक तिथि एवं स्थान	बैठक की अध्यक्षता
1.	2.	3.	4.
1.	आर0आई0डी0एफ0 की 64वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC) की बैठक	14-06-2023 शिमला	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2.	आर0आई0डी0एफ0 की 65वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC) की बैठक	13-12-2023 शिमला	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3.	विधायकों के साथ बैठकें	29 व 30 जनवरी, 2024 शिमला	माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।
4.	आर0आई0डी0एफ0 की 66वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC) की बैठक	02-03-2024 शिमला	प्रधान सचिव, (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपरोक्त वर्णित बैठकों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में कार्यकारी विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त नाबार्ड एवं योजना विभाग के अधिकारी भी भाग लेते हैं। इन समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को योजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इन बैठकों से योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलती है। उपरोक्त समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के स्तर पर भी समीक्षा बैठकें की जाती हैं। जिला स्तर पर भी सम्बन्धित उपायुक्तों की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

VII. मूल्यांकन प्रभाग:-

मूल्यांकन में विभिन्न चल रही या पूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की कार्यान्वयन प्रक्रिया का व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल है, जिसमें इसकी प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता को निर्धारित करने के उद्देश्य से डिजाइन, कार्यान्वयन और परिणाम शामिल हैं और इन योजनाओं और कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना है ताकि इन योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली रूप से कार्यन्वित किया जा सके। वर्ष 1973 से लेकर 2020 तक योजना विभाग ने 41 मूल्यांकन अध्ययनों को पूरा कर लिया है जबकि 2020 से 2023 तक 8 और मूल्यांकन अध्ययनों को पूरा कर लिया है।

S. N.	Name of Evaluation Studies	Status
1.	Amelioration of Housing Problem through State Housing Scheme in HP.	Completed
2.	Role of MGNREGA in the Enhancement of Women Status in HP.	Completed
3.	Development of Sericulture Industry in HP.	Completed
4.	Status of Primary Agriculture Credit Scheme in HP.	Completed
5.	Output and Performance based Road Contract for the Maintenance.	Completed
6.	State Mission for Food Processing in HP.	Completed
7.	Assessing functionality status of Separate girl's toilet and Hygiene & Sanitation conditions of Government Schools in HP.	Completed
8.	Home Stay Yojana in HP.	Completed

इसके अलावा योजना विभाग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/बोर्डों और निगमों के सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए 6 एजेंसियों/संगठनों को भी सूचीबद्ध किया है। राज्य के सभी विभाग मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों को नियुक्त कर सकते हैं।

VIII. विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग :

विधायक प्रभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान निम्न कार्य निष्पादित किए गए:-

1. वर्ष 2023-24 के दौरान माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई जिस पर विभागों से अनुवर्ती कार्यवाही प्राप्त होने के पश्चात् संकलित करके सभी माननीय विधायकों को उपलब्ध करवाई गई ।
2. वार्षिक बजट 2024-25 के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 29 एवं 30 जनवरी, 2023 को माननीय विधायकों की बैठकों का आयोजन किया गया तथा इन बैठकों की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई।
3. प्रदेश सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 तक माननीय विधायकों द्वारा तीन विकास शीर्षो सड़क, ग्रामीण पेयजल/मल निकासी योजनाएं एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत दो-दो प्राथमिकताओं की योजनाएं नई योजनाओं के अन्तर्गत बजट में शामिल करने के लिए दी जाती थी। दिनांक 29 एवं 30 जनवरी, 2024 को आयोजित विधायक प्राथमिकता की बैठकों में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 से अब माननीय विधायकों द्वारा 06 के स्थान पर केवल 05 विधायक प्राथमिकताएं मुख्य विकास शीर्षो क्रमशः सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल / मल निकासी (वास्तविक नई स्कीमें RNS), मुरम्मत एवं रख-रखाव तथा इलैक्ट्रिक बस सर्विस चार्जिंग स्टेशन सहित (किन्हीं पाँच रुटों पर जहां पर पहले से HRTC की डीजल बस चल रही हो) से सम्बन्धित प्रस्तावित की जा सकती हैं। माननीय विधायकों द्वारा मुख्य विकास शीर्षो (वास्तविक नई स्कीमें RNS) क्रमशः सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल / मल निकासी योजनाओं की एक-एक स्कीम अथवा किसी एक मद में तीन / दो प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। एक विधायक प्राथमिकता मुरम्मत एवं रख-रखाव से सम्बन्धित (उपरोक्त तीन विकास शीर्षो में से किसी एक में) और केवल एक ही प्राथमिकता परिवहन विभाग के अन्तर्गत इलैक्ट्रिक बसें चार्जिंग स्टेशन सहित चलाने हेतु शामिल की जा सकती हैं।
4. उपरोक्त के अनुरूप प्रत्येक माननीय विधायकों से पांच प्राथमिकताएं प्राप्त होने के उपरान्त संकलित की गई । संकलित प्राथमिकताओं को “नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2024-25”, के रूप में प्रकाशित किया गया। यह प्रकाशन राज्य के वार्षिक बजट का हिस्सा है ।
5. विधायक प्राथमिकताओं से सम्बन्धित कार्य गतिशील प्रवृत्ति के होते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान विधायकों से योजनाओं में फेरबदल/प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए । इन प्रस्तावों पर प्रदेश सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप वाँछित कार्रवाई की गई। सम्बन्धित विभागों को विधायकों के प्रस्तावों पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए तथा सम्बन्धित विधायकों को भी फेरबदल/ प्रतिस्थापित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से सूचित किया गया ।

IX. कम्प्यूटर प्रभाग:

योजना विभाग की कम्प्यूटर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम्प्यूटरीकरण प्रभाग का गठन किया गया है। योजना विभाग द्वारा प्रकाशित सभी रिपोर्टों/प्रकाशनों को कम्प्यूटर पर संसाधित किया जाता है और बाद में प्रिंटिंग प्रेस में ऑफ-सेट पर मुद्रित किया जाता है। यह विभाग के लिए सॉफ्टवेयर विकास की जरूरतों को पूरा कर रहा है और योजना विभाग के विभिन्न प्रभागों के लिए निम्न सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं:-

1. GIGW आधारित विभाग की वेब साइट का विकास और अद्यतन।
2. विकास बजट अनुश्रवण के विभागीय सॉफ्टवेयर का विकास एवं अद्यतनीकरण।
3. योजना निर्माण अनुश्रवण के विभागीय सॉफ्टवेयर का विकास एवं अद्यतनीकरण।
4. विधायक प्राथमिकता योजनाओं की निगरानी।
 - (i) माननीय विधायक डैशबोर्ड।
 - (ii) योजना विभाग डैशबोर्ड।
 - (iii) आईपीएच विभाग डैशबोर्ड।
 - (iv) पीडब्ल्यूडी विभाग डैशबोर्ड।
5. वार्षिक विकास बजट 2023-24
6. विभाग का वेतनमान/एडीए/वेतनमान बकाया।
7. पिछड़े क्षेत्र उप-योजना, बजट परिव्यय का जिला/एसओई-वार आवंटन।
8. विभिन्न योजना कार्यक्रमों/योजनाओं पर मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट।
9. विभाग में विभिन्न बैठकों पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन।

4.3 जिला कार्यालय:

प्रदेश के सभी 10 गैर-जनजातीय जिलों में जिला योजना कक्षों की स्थापना की गई है। जिला योजना कक्ष जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को मुख्य योजना अधिकारी घोषित किया गया है। जिला योजना अधिकारी, जिला योजना कक्षों के मुखिया हैं। जिला योजना कक्षों को निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :-

1. जिला योजना अधिकारी : एक पद
2. साख योजना अधिकारी : एक पद
3. सहायक अनुसंधान अधिकारी : एक पद
4. सांख्यिकीय सहायक : एक पद
4. वरिष्ठ सहायक
(जिला शिमला, मण्डी एवं
कांगड़ा में प्रति जिला दो-दो पद)
5. आशुटकक/ कनिष्ठ कार्यालय
सहायक (सू० प्रौ०) : एक पद
7. लिपिक : एक पद
8. चपड़ासी : एक पद

योजना विभाग द्वारा संचालित सभी विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों जैसे कि विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना इत्यादि को जिला स्तर पर जिला योजना कक्षों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम व आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन भी सम्बन्धित जिला योजना कक्षों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एवं अन्य कार्य भी जिला योजना कक्षों के माध्यम से किये जा रहे हैं। जिला स्तर पर योजना, विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों में सभी योजना कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य भी जिला योजना कक्ष कर रहे हैं। जिला स्तर पर जिला योजना कक्ष, राज्य सरकार के विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर विभाग का जन सूचना अधिकारी भी है। प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकृत नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में जिला योजना कक्षों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

4.4 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के उप-नियम 4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचना:

(i) विभाग के कार्य एवं कर्तव्य।

कृपया मद् 'पृष्ठभूमि एवं परिचय' तथा 'संगठनात्मक ढांचा' का अवलोकन करें।

(ii) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।

सलाहकार (योजना):

विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण सलाहकार (योजना) के पास है। वह कार्य निष्पादन में प्रधान सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार की सहायता करते हैं तथा प्रधान सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं।

संयुक्त निदेशक (योजना):

संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह सलाहकार (योजना) के साथ विभिन्न दायित्व निर्वहन एवं अन्य कार्य जैसे प्रशासन, योजना प्रारूपण, योजना कार्यान्वयन, सतत् विकास लक्ष्य, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन एवं समय-समय पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

उप-निदेशक (योजना):

सभी उप-निदेशक, विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि ई0ए0पी, इनोवेशन, परफौरमैन्स मोनिटीरिंग, नाबाई, मूल्यांकन, जन-शक्ति एवं रोजगार, कम्प्यूटरीकरण, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना, इत्यादि के नियन्त्रक हैं। समस्त उप-निदेशक विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं।

अनुसंधान अधिकारी:

विभाग के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में संयुक्त निदेशक एवं उप-निदेशकों की सहायता करते हैं। सभी नस्त्रियां उनके माध्यम से संयुक्त निदेशक व उप-निदेशकों को भेजी जाती है।

जिला योजना अधिकारी:

जिला योजना अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख मद्-3 "जिला कार्यालय" में किया गया है।

सहायक अनुसंधान अधिकारी:

विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

सांख्यिकीय सहायक :

विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

गणक :

विभाग के योजना प्रारूपण प्रभाग में कार्यरत हैं तथा प्रभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं, उनका निष्पादन करते हैं।

प्रणाली विश्लेषक :

प्रणाली विश्लेषक कम्प्यूटर कक्ष के प्रभारी हैं। वह योजना विभाग के कम्प्यूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफ्टवेयर तैयार करना, इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रोग्रामर :

प्रोग्रामर योजना विभाग के कम्प्यूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफ्टवेयर तैयार करना, इत्यादि में प्रणाली विश्लेषक की सहायता करते हैं।

कार्यक्रम योजना अधिकारी :

कार्यक्रम योजना अधिकारी विभाग में कम्प्यूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफ्टवेयर तैयार करने में प्रणाली विश्लेषक व प्रोग्रामर की सहायता करते हैं।

संगणक संचालक :

संगणक संचालक विभाग में कम्प्यूटरीकरण के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु कार्यक्रम योजना अधिकारी/प्रोग्रामर तथा विभिन्न प्रभागों की सहायता करते हैं। परन्तु इस समय अवधि में यह पद रिक्त है।

अधीक्षक ग्रेड-I :

अधीक्षक वर्ग-I योजना विभाग के प्रशासनिक कक्ष के समस्त प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करते हैं। प्रशासन प्रभाग की सभी नस्तियाँ प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग-I के माध्यम से उच्च स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं। इस समय अवधि में यह पद रिक्त है।

अधीक्षक ग्रेड-II :

अधीक्षक ग्रेड-II प्रशासन कक्ष में कार्यरत सभी कर्मचारियों के कार्यों पर नजर रखते हैं, तथा प्रशासन कक्ष के सभी सहायक अपनी-अपनी नस्तियाँ प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग-I को आगामी निर्णय हेतु अधीक्षक वर्ग-II के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं।

वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक :

विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को अधीक्षक वर्ग-II के माध्यम से उच्च स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं।

लिपिक:

कर्मचारी प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग-I/ आहरण एवं वितरण अधिकारी/अधीक्षक वर्ग-II द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करते हैं।

कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सू०प्रौ०):

कर्मचारी प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग- I /आहरण एवं वितरण अधिकारी/अधीक्षक वर्ग- II द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करते हैं।

निजि सचिव/निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक:

कर्मचारी विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक एवं उप-निदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन कॉल सुनने के लिए कार्यरत हैं तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों एवं अभिलेखों का रख-रखाव करते हैं।

आशुटंकक:

अधिकारियों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन कॉल सुनने/इत्यादि कार्यों के लिए कार्यरत हैं।

प्रतिलिपि यन्त्र चालक:

विभाग की फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं।

चपड़ासी:

विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना, टेबल इत्यादि की सफाई तथा कार्यालय मेनुअल के अनुरूप कार्य करते हैं।

जमादार:

कर्मचारी मन्त्री/ अधिकारियों के साथ तैनात रहते हैं, उनके दूरभाष attend करते हैं तथा कार्यालय में फर्नीचर तथा अन्य fixture की सफाई करते हैं तथा सरकारी डाक लाने व वितरण का कार्य करते हैं।

सफाई कर्मचारी:

विभाग के कमरों, बरामदों, शौचालयों एवं वाश वेसनों की सफाई हेतु नियुक्त हैं।

(iii) प्रतिबद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णय प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम:

सलाहकार(योजना) विभागाध्यक्ष हैं तथा उनमें विभागाध्यक्ष की सभी शक्तियां निहित हैं। विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं। विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं। विभाग की नस्तियां प्रभागाध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार (योजना) को प्रस्तुत की जाती है।

(iv) कार्य निष्पादन हेतु मापदण्ड:

विभाग के भिन्न-2 कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय-2 पर निर्धारित नियमों/नीतियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं।

(v) नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में हैं अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं।

विभाग में प्रयोग किए जा रहे नियमों-विनियमों, निर्देशों तथा नियमावली का संक्षिप्त विवरण निम्न है:-

1. सी.सी.एस.लीव रूलज, 1972।
2. सी.सी.एस.(सी.सी.ए) रूलज।
3. एच.पी.एफ.आर रूलज।
4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज।
5. मैडिकल एटैन्डेंस सुविधा नियम।
6. गृह निर्माण अग्रिम नियम।
7. अवकाश यात्रा सुविधा नियम/यात्रा भत्ता नियम।
8. बजट मैनुअल।
9. आफिस मैनुअल।
10. पैंशन नियम।
11. सामान्य भविष्य निधि नियम/इ0पी0एफ रूलज।

निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश:-

1. विकेन्द्रीकृत नियोजन
2. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम
3. क्षेत्रीय विकास निधि योजना
4. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना
5. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना
6. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना
7. बाहया सहायता परियोजना
8. ग्रामीण संरचना विकास निधि
9. जिला इनोवेटिव निधि (District Innovative Fund)
10. राज्य इनोवेटिव निधि (State Innovative Fund)
11. आकांक्षी जिला व आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

अधिकारी/ कर्मचारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों जिन्हें योजना विभाग की वेबसाईट पर डाला गया है का प्रयोग कर सकते हैं। विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन जिसमें संगठनात्मक ढांचा भी दिया गया है को विभाग की वेबसाईट पर डाल दिया गया है।

(vi) दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों।

पंच-वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न-भिन्न योजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन, जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच-वर्षीय योजना

मध्यकालीन समीक्षा, विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सूची तथा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित “दृष्टि हिमाचल प्रदेश-2030”, जन अधिकार पुस्तिका, नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास।

(vii) किसी नीति को बनाने या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के सम्बन्ध में कोई विवरण हो तो।

विभाग की विभिन्न समितियों में जन-प्रतिनिधियों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। गैर-सरकारी सदस्य समितियों की बैठकों में सरकार की नीति-निर्धारण के लिए बहुमूल्य सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में भी जन-प्रतिनिधि बैठकों के माध्यमों से भाग लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तर की योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य की वार्षिक योजना की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए समस्त विधायकों एवं राज्य से सम्बन्धित सांसदों के साथ बैठकों के माध्यम से विचार-विमर्श किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के नीति-निर्धारण, योजनाओं के कार्यान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

(viii) बोर्ड, कौंसिल, कमेटियां एवं अन्य निकाय/ सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए खुली हों या बैठकों की कार्यवाही लोगों की पहुंच में हो।

विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गठन किया गया है:-

1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड।
2. राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य इनोवेशन परिषद।
4. केंद्रीय सैक्टर परियोजनाएं समन्वय समिति (सी.एस.पी.सी.सी)।
5. राज्य स्तरीय अन्तर विभागीय परियोजना समन्वय और अनुश्रवण ग्रुप (एस.एल.आई.डी.पी.सी.एम.जी.)।
6. नाबाई (आर.आई.डी.एफ.) हाई पॉवरड समिति।
7. स्टेट लेवल कमेटी फॉर द कॉरडीनेशन एंड मॉनटरिंग ऑफ कंन्वरजेंस इन्टगरेशन एंड फोकसड।
8. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं सम्बन्धित स्टेट लेवल सैंक्सनिंग कमेटी ऑफ फ्लेक्सी फंडज।
9. राज्य स्तरीय संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मूल्यांकन समिति।
10. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय स्कीनिंग समिति (E.A.P.)।

इन बोर्ड/कमेटियों की बैठकें आम लोगों के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति लोग ले सकते हैं।

(ix) विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।

कृपया मद्-2.योजना विभाग-स्टाफ स्थिति का अवलोकन करें।

(x) प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली।

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

(xi) प्रत्येक एजेंसी का बजट आवंटन जिसमें सभी योजनाओं का विवरण तथा व्यय प्रस्ताव एवं आहरण की रिपोर्ट जो बनती है।

योजना विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर योजना स्कीमों एवं विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपायुक्तों को धन का आबंटन प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित माप-दण्डों के आधार पर किया जाता है। प्रभाग वार उद्देश्य, कार्यक्रम, आवंटन, व्यय, इत्यादि का विस्तृत उल्लेख सम्बन्धित प्रभागों के विवरण में किया जा चुका है।

(xii) उपदान/कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमें लाभ भोगियों का विवरण धनराशि सहित।

विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जाता है।

(xiii) रियायतों के पात्रों का विवरण।

लागू नहीं है।

(xiv) इलैक्ट्रानिक्स तरीके से सूचना उपलब्धता बारे।

विभिन्न प्रभागों के कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना विभाग की वेबसाइट www.planning.hp.gov.in पर उपलब्ध है।

(xv) लोगों/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु लाईब्रेरी या वाचनालय का प्रावधान हो तो उसका विवरण जिसमें समय का विवरण भी हो।

विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई भी सूचना विभाग के कार्यालयों से सुबह 10.00 से 5.00 बजे सायं तक, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, प्राप्त की जा सकती है।

(xvi) जन सूचना अधिकारियों के पद-नाम एवं विवरण।

क्रम सं०	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक जन सूचना अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता सहित दूरभाष	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है।
1.	2.	3.	4.	5.
(क) सचिवालय स्तर पर				
1.	श्री देवेश कुमार, अपील प्राधिकारी	प्रधान सचिव, (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2. दूरभाष नं०- 0177-2621904	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
2.	श्री रमेश चन्द शर्मा, जन सूचना अधिकारी	संयुक्त सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं०- 0177-2628501	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
(ख) राज्य स्तर पर				
1.	डा० बसु सूद, अपील प्राधिकारी	सलाहकार योजना/ विभागाध्यक्ष	योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं०- 0177-2621698	राज्य स्तर पर योजना विभाग
2	श्री सुमन लाल, जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड- II	योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं०- 0177-2880840	मुख्यालय स्तर पर योजना विभाग
(ख) जिला स्तर पर				
1.	श्री अनुज ठाकुर, जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, बिलासपुर। दूरभाष नं. 01978-222668	सम्बन्धित जिला
2	श्री जीवन कुमार, जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, चम्बा। दूरभाष नं. 01899-226166	सम्बन्धित जिला

3	श्री अरुण चौधरी जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर। दूरभाष नं. 01972-222702	सम्बन्धित जिला
4	श्री अलोक धवन जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, कांगड़ा स्थित धर्मशाला। दूरभाष नं. 01892-223316	सम्बन्धित जिला
5	श्री जवाहर लाल वर्मा, जन सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, कुल्लू। दूरभाष नं. 01902-222872	सम्बन्धित जिला
6	श्री विनोद कुमार, जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, मण्डी। दूरभाष नं. 01905-225212	सम्बन्धित जिला
7	श्री अजय रतन, जन सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, शिमला। दूरभाष नं. 0177-2808399	सम्बन्धित जिला
8	श्री संजय परमार, जन सूचना अधिकारी।	जिला योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, जिला सिरमौर स्थित नाहन। दूरभाष नं. 01702-224219	सम्बन्धित जिला
9	श्रीमति आभा, जन सूचना अधिकारी।	सहायक अनुसंधान अधिकारी अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, सोलन। दूरभाष नं. 01792-223702	सम्बन्धित जिला
10	श्री संजय सांख्यान जन सूचना अधिकारी।	साख योजना अधिकारी।	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय, ऊना। दूरभाष नं. 01899-226057	सम्बन्धित जिला

(xvii) ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो।

1. आर0टी0आई0 आवेदनों की दिनांक 01-04-2023 से 31-03-2024 तक की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार से है-

मुख्यालय स्तर पर:-

कुल आवेदन प्राप्त हुए	आवेदन का निपटारा	लम्बित
15	15	शून्य

जिला स्तर पर:-

जिलों का नाम	कुल आवेदन प्राप्त हुए	आवेदन का निपटारा	लम्बित
बिलासपुर	03	03	शून्य
चम्बा	24	24	शून्य
मंडी	05	05	शून्य
हमीरपुर	04	04	शून्य
कुल्लु	01	01	शून्य
सोलन	02	02	शून्य
कांगड़ा	15	15	शून्य
ऊना	09	09	शून्य
शिमला	19	19	शून्य
सिरमौर	08	08	शून्य
कुल	90	90	शून्य

2. ई-समाधान से सम्बन्धित दिनांक 01-04-2023 से 31-03-2024 तक की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार से है-

आवेदन का प्रकार	कुल आवेदन प्राप्त हुए	कोई कार्रवाई नहीं	प्रगति पर	आवेदन का निपटारा
विकास सम्बंधी	5	0	0	5
जन-शिकायत सम्बंधी	56	0	0	56
कुल	61	0	0	61

Government of Himachal Pradesh



**ANNUAL
GENERAL ADMINISTRATIVE
REPORT
2023-2024**

**Planning Department
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171002**

CONTENTS

Sr. No.	Subject	Page No.
1.	Background and Introduction	1
2.	Staff Position – Planning Department	1-2
3.	Organizational Chart	3-4
4.	Organizational Structure	4
4.1.	State Planning Board	4-6
4.2	Head Quarters	6-7
	(I) Administration Division	7
	(II) Plan Formulation & Plan Implementation Division	7-10
	(III) Backward Area Sub Plan, Twenty Point Programme Division, Aspirational District Programme & Aspirational Block Programme	11-14
	(IV) Regional & District Planning Division	15-20
	(V) Externally Aided Project (EAP) & Innovation Division	21-26
	(VI) NABARD – RIDF Division	27-30
	(VII) Evaluation Division	31
	(VIII) MLA Priority Division	32
	(IX) Computerization Division	33
4.3.	District Offices	34
4.4	Information of RTI Act-2005	35-43

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION:

In order to provide secretarial services to formulate the five year plans and annual plans and their follow-up programmes on scientific lines, the Planning Commission, Government of India had set up a State Planning Machinery in Himachal Pradesh during 1972-73. At present, the State Planning Department has been mandated to formulate State Development Budget, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes, etc. The other activities consist of Project Appraisal of Externally Aided Projects, Implementations of scheme under RIDF funded by NABARD, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning, Implementation of Backward Area Sub-Plan, Review of 20-Point Programme, Sustainable Development Goals (SDGs), Aspirational Districts Programmes, Aspirational Block Programmes & Coordination with NITI Aayog on various issues etc. work is also being done.


2. STAFF POSITION - PLANNING DEPARTMENT:


(As on 31.03.2024)

S. N.	Category	Sanctioned Posts	Filled-up	Vacant
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Chairman Employment Generation & Resources Mobilization	1	0	1
2.	Chairman (20 Point Programme)	1	0	1
3.	Dy. Chairman, State Planning Board	1	1	0
4.	Adviser (Planning)	1	1	0
5.	Joint Director	1	1	0
6.	Deputy Directors	6	2	4
7.	Research Officers / District Planning Officers	22	15	7
8.	Credit Planning Officers	10	10	0
9.	Assistant Research Officer	17	8	9
10.	Statistical Assistant	21	13	8
11.	Computer	2	2	0

12.	System Analyst	1	1	0
13.	Programmer	1	1	0
14.	Programme Planning Officer	1	0	1
15.	Computer Operator	1	0	1
16.	Private Secretary	1	0	1
17.	Personal Assistant	2	0	2
18.	Senior Scale Stenographer	1	1	0
19.	Junior Scale Stenos	6	6	0
20.	Steno-Typists	3	3	0
21.	Junior Office Assistant (I.T.)	20	11	9
22.	Superintendent Grade-I.	1	0	1
23.	Superintendent Grade-II.	2	1	1
24.	Senior Assistant	16	11	5
25.	Clerk	12	11	1
26.	DMO	1	1	0
27.	Driver	5	5	0
28.	Peons	20	19	1
29.	Frash	1	1	0
30.	Jamadar	1	1	0
31.	Sweeper	1	1	0
	TOTAL	180	127	53

3. ORGANISATIONAL CHART :





4. ORGANISATIONAL STRUCTURE:

The organizational structure of Planning Department consists of following three tiers:-

1. State Planning Board.
2. Headquarters.
3. District Offices.

4.1. STATE PLANNING BOARD:

1. Composition:-

- (i) **Chairman:** Chief Minister

- (ii) Deputy Chairman:** As appointed by the State Govt.
- (iii) Non-official Members:**
1. All Cabinet Ministers
 2. All MPs (Lok Sabha and Rajya Sabha)
(Notified separately)
 3. One Representative each of Farmers,
Industrialists Trade- SC, ST, OBC, Women
(Notified separately)
 4. Former MPs / MLAs and sitting MLAs
(Notified separately)
 5. Ex-Chief Secretaries/ Retd. Government Officers of key departments
(Notified separately)
- (iv) Official Members:**
1. Chief Secretary,
 2. All Administrative Secretaries
 3. All Vice-Chancellors of Universities in Himachal Pradesh
- (v) Ex-officio Members:**
1. President, HP Committee, PHD Chamber of Commerce & Industries
 2. Officer-in-Charge of Regional Office, NABARD, Himachal Pradesh
- (vi) Member Secretary :** Adviser (Planning)

II. Terms of Appointment: Prescribed by the Govt. of H.P. from time to time.

III. Headquarters of the Board:

The Headquarters of the State Planning Board will be in Shimla. The Board may, however, meet at any other place as and when considered necessary.

IV. Functions:

The functions of the Board are as under:-

- To determine the Plan priorities for State in the light of overall National objectives.
- To assess the man-power and financial resources and their organizational and institutional capabilities.
- To assess the level of development in important sectors for the State as a whole as well as for various districts and regions.
- In the light of above, formulate a long term perspective plan for the most effective and balanced utilization of State resources.
- To assist the State Government in the formulation of the annual plans and evolve a short term strategy for planned development after examination of

different approaches so as to achieve maximum growth rate keeping in view Social justice.

- To identify factors which tend to retard the economic and social development of the State and determine conditions to be established for successful execution of the plan.
- To suggest policies and programmes for removing the imbalances prevailing in various regions in the State and to assist in the formulation of the district plans/area Plans.
- To review the progress of implementation of the plan programmes and recommend such adjustments in policies and measures as the review may indicate.
- To make critical appraisal of on-going programmes leading to a determination of the extent to which some of the identified on-going programmes or projects would need to be continued.
- To review the implementation of plan projects and other development schemes.
- To advise on the problem of unemployment and suggest ways and means for tackling it.
- To advise on such other matters connected with the economic development as may be assigned by the State Government.
- To make such interim or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate for facilitating the discharge of duties assigned or on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or an examination of such specific problems as may be referred to it for advice by the State Government.
- To collect and analyze information/data regarding Plan schemes.
- To review the working of Government Corporations, Boards and suggest means for their improvement.
- To highlight difficulties being faced in the implementation of the plan schemes at district level and suggestions to overcome them.
- To evaluate various projects/corporations according to the directions of Chairman.

4.2. HEADQUARTERS:

According to the rule of business, following is the structure of Planning Department for transaction of official business:-

1.	Minister – in-charge	Hon’ble Chief Minister, HP.
2.	Administrative Secretary	Principal Secretary (Planning) to the GoHP.
3.	Head of Department	Adviser (Planning) HP.

Adviser (Planning) is the Head of the Department. The various divisions viz. Plan Formulation, Plan Implementation, Computerization, Evaluation,

Manpower & Employment, Administration, Regional & District Planning , Backward Area Sub-Plan and Twenty Point Programme, R.I.D.F., M.L.A. Priorities, Externally Aided Projects (E.A.P.), SDGs, Aspirational District Programme & Aspirational Block Programme are functioning under the control of Adviser (Planning). These divisions are headed by Joint Director / Deputy Directors. Joint Director functions as Head of Office. The Division-wise details of goals, objectives, programmes, development budget allocation, expenditure, etc. are given below:-

I. ADMINISTRATION DIVISION:

The Administration Division functions under the control of Joint Director (Administration).

The Administration Division does routine Administrative and Personnel Management and other related works such as recruitment, promotion, confirmation, transfers / postings, disciplinary actions / proceedings, budget, accounts, reply of audit / CAG / PAC paras, store & stock and other miscellaneous works assigned to it. During the year under report, the Administrative Division of the department has performed the above mentioned works / duties.

II. PLAN FORMULATION & PLAN IMPLEMENTATION DIVISION :

The details of the work assigned to the Plan Formulation & Plan Implementation Divisions 2023-24 are as under :-

PLAN FORMULATION:

The Budget Formulation division mainly deals with the formulation of Annual Development Budget by convening meetings with Head of departments/ Stakeholders. After detailed discussions held in these meetings and keeping in view the available resources / priorities of State, this division formulates and finalizes overall size of Annual Development Budget by ensuring percentage criteria of TADP, SCDP and BADP. This division also organizes meeting of State Planning Board annually to approve the Annual Development Budget.

(I) The process initiated and completed by the Division during 2023-24 for preparation of State's Annual Development Budget 2024-25 are as under:-

- (a) The Annual Development budget proposals were invited from all the concerned departments in the month of October, 2023.

- (b) A series of meetings with concerned departments were organized in the month of October, 2023 to discuss & firm up the development priorities of the departments for Annual Development Budget (2024-25).
- (c) After the detailed discussions, Annual Development Budget Size for the year 2024-25 was firmed up and the Head of Development wise budget ceiling alongwith specific earmarkings were conveyed to all the concerned Department. The Head of Departments were also requested to prepare Major Head / Sub-Major Head/ Minor Head / Sub- Minor Head / SOEs wise Development Budget and submit the same to Finance Department for inclusion in the Demand for Grants for the financial year (2024-25).

The Annual Development Budget (2024-25) was prepared by proposing a total development budget size 15269.74 crore. Out of which, Rs. 9989.49 crore was proposed for State Development Budget and Rs. 5280.25 crore proposed for Central Development Budget. This has also been approval by the State legislative in the budget secession 2024-25.

The Sector – wise break up of Annual State and Central Development Budget are given as under:-

Table -1 State Development Budget

(Rs. in crore)

S. N.	Sector	Annual State Development Budget (2024-25)
1.	2.	3.
1.	Agriculture and Allied Activities	1009.94
2.	Rural Development	287.05
3.	Special Area Programme	1.50
4.	Irrigation & Flood Control	300.66
5.	Energy	589.30
6.	Industries and Minerals	92.41
7.	Transport & Communication	2681.84
8.	Science, Technology & Environment and Information Technology	41.20
9.	General Economic Services	885.12
10.	Social Services	3985.49
11.	General Services	114.98
	Total	9989.49

Table -2 Central Development Budget**(Rs. in Crore)**

Sr. No.	Sector	Annual Central Development Budget (2024-25)
1.	2.	3.
1.	Agriculture and Allied Activities	233.26
2.	Rural Development	1001.70
3.	Special Area Programme	13.50
4.	Irrigation & Flood Control	586.33
5.	Energy	0.00
6.	Industries and Minerals	17.92
7.	Transport & Communication	800.01
8.	Science, Technology & Environment and Information Technology	0.00
9.	General Economic Services	0.28
10.	Social Services	2572.23
11.	General Services	55.02
	Total	5280.25

II:- Implementation of Budget Assurances.

After finalization the Budget for financial year 2023-24 this Division has prepared department -wise Paras of the Budget Assurances. The same were uploaded on the Him Pragati Portal and all the Administrative Secretaries and Head of the Departments were requested to take necessary action for effective implementation of the Budget Assurances pertaining to their departments. In the month of April,2023, a meeting was also organized under the Chairmanship of Chief Secretary to the Govt. of H.P. with all the Administrative Secretaries / HoDs to review the implementation status of the Budget Assurances. The minutes of the above mentioned meeting was prepared and circulated to all the concerned Administrative Secretaries /Departments for further necessary action.

III: Gender Budgeting Booklet.

To end discrimination against women and to promote the gender equality, a separate chapter and statement on Gender Budgeting has been prepared for financial year 2024-25. In this booklet, the detail of schemes/ programmes have been given which are being benefitted directly to the women in the State. This booklet was also presented for its approval in the State legislature during the budget session 2024-25.

PLAN IMPLEMENTATION DIVISION :

1. This division examined proposals of diversion and re-appropriation received from different departments thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/re-appropriations were permitted.
2. Additionalities had been provided for those Schemes/Heads, which had the possibility of low intensity of expenditure. A cut was imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which were of utmost importance.
3. This division also arranged meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities to dispose-off such cases promptly.
4. During the period under report, proposals on diversions and re-appropriations were called from all departments through concerned Administrative Departments (ADs) in respect of Earmarked & Non-earmarked Sectors for scrutiny and examination.
5. During the year under report, 382 references from different departments through Administrative Departments for obtaining advice on their departmental files had been received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority. Apart from it, many files from different departments had also been received on e-Office and were examined.
6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan had been linked with budget through software for this purpose.

In addition to this, following activities were undertaken by the Plan Implementation during the period under reference:-

1. Sustainable Development Goals:

As the Planning Department is the Nodal agency for implementing SDGs in Himachal Pradesh, so, all correspondence regarding SDGs disposed off in Plan Implementation Division.

2. Special Assistance from GoI:

As Government of India is releasing Special Assistance to States for various Capital works since 2020-21, so, this division dealt with the special assistance received from GoI. In the FY 2023-24, State Government had received `1515.91 crore as Special Assistance from GoI, which was further released to various developmental works of different departments in Himachal Pradesh.

III. BACKWARD AREA SUB-PLAN & 20 Point Programme DIVISION:

1. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP):

State Government has notified the Backward Area Sub Plan for identification and mitigation of sub-regional disparities in development on various parameters. HP Government framed a comprehensive policy for backward areas during 1995-96 which is being implemented since then in Himachal Pradesh. The salient features of the policy are as under:-

- (a) Backward Area Sub-Plan is operational in ten districts of the State (except Tribal Districts).
- (b) Backward Area Sub Plan comprises three categories:-
 - (i) **Backward Blocks:** All blocks having 50% or more than 50% Backward declared Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Ten Backward Blocks in the State having 392 Backward Panchayats.
 - (ii) **Contiguous Pockets:** Group of five or more backward declared Panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 137 backward Panchayats in the State.
 - (iii) **Dispersed Panchayats:** Other Panchayats which do not fall in the above mentioned categories (i) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 125 Dispersed Panchayats in the State.
- (c) Funds are earmarked for Backward Area Sub-Plan (BASP) under selected thirteen heads of development.
- (d) Both, beneficiaries and infrastructure development oriented approaches have been adopted in these areas.
- (e) The allocation of funds to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.
- (f) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions / re-appropriation with the approval of DPDC. The Deputy Commissioners and District Planning Officers have been given the controlling/ sanctioning authority and Drawing & Disbursing Officers powers respectively.

There are 654 Panchayats declared as backward out of 3615 Panchayats in the State. A single Demand No-15 "Planning and Backward Area Sub Plan" has been created for separate budgetary arrangements under BASP. BASP enjoys

sufficient degree of flexibility as District level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities within the district. During Financial Year 2023-24 the budget of Rs. 89.82 crore was allocated to districts under Capital Heads. The total sum of Rs.105.61crore is kept for the financial year 2024-25.

The District wise details of Backward Area Sub Plan 2023-24 outlay / expenditure of Capital Head and number of Backward declared Panchayats are as under:-

(Rs. in lakh)

Sr. No.	District	Number of Backward Declared Panchayats	BASP BUDGET & EXPENDITURE 2023-24 (Capital Head)	
			Budget (Plan)	Expenditure (Plan)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bilaspur	15	206.01	176.25
2.	Chamba	176	2417.17	2022.30
3.	Hamirpur	14	192.28	172.28
4.	Kangra	18	247.21	177.21
5.	Kullu	91	1249.79	1069.52
6.	Mandi	208	2856.66	2424.47
7.	Shimla	95	1304.72	934.15
8.	Sirmour	29	398.28	350.64
9.	Solan	4	54.94	6.50
10.	Una	4	54.94	6.86
	TOTAL	654	8982.00	7340.18

2. Twenty Point Programme 2021-22:-

The Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) is being implemented in the State as per the guidelines issued by Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, from time to time.

The Twenty Point Programme is a monitoring mechanism which covers various socio-economic aspects like poverty eradication, employment, education, housing, health, agriculture, land reforms, irrigation, drinking water, protection and empowerment of weaker sections, consumer protection, environment, e-governance, etc.

The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI) monitors the Programme / schemes covered under TPP-2006 at National level on the basis of performance report received from State Government and Central Nodal Ministries.

The restructured TPP-2006 consists of 20 points and 65 monitorable items which varies from State to State and from year to year. The performance of the States in the implementation of Twenty Point Programme-2006 was being ranked by the Government of India till 2009-10 and the ranking has been stopped thereafter.

Planning Department, Himachal Pradesh has been declared as a nodal department for coordination, review, monitoring and reporting of quarterly / annual progress reports of Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) since 2007.

The State Government gives top priority for the effective implementation and achievement of TPP targets. The performance of TPP is regularly monitored at State and District levels on quarterly basis.

The District Planning, Development and 20 Point Programme Review Committees headed by the Chief Minister/Minister/MLA of all the districts review the progress of TPP in their quarterly review meetings. Deputy Commissioners / Additional Deputy Commissioners / Additional District Magistrates / District Planning Officers also review and monitor independently the progress of TPP with the concerned district level officers of the districts in the various meetings.

2. Aspirational District Programme-2023-24:-

Aspirational District Programme was launched in January 2018 in 112 relatively backward districts of country for 'Transformation of Aspirational Districts'. States as the main drivers of this program will focus on the strength of each district, identify low-hanging fruits for immediate improvement, measure progress, and rank the districts on monthly basis. District Chamba of Himachal Pradesh is one of them. The ADP monitors the 49 different Key Performance Indicators and analyse the improvement of Aspirational districts through real-time data tracking being uploaded by concerned districts on Champion of change dashboard. The district scored good rank has also been awarded by NITI Aayog. Since 2018-2023 Chamba District was awarded four times by NITI Aayog for scoring good rank and approved the funds of Rs. 9.00 crore.

In addition of above on the basis of overall good performance in the month of May 2023, Chamba district has become entitled to receive an additional allocation of Rs. three crore for which District Chamba has to submit the proposal to NITI Aayog.

3. Aspirational Block Programme-2023-24:-

This programme was launched by Hon'ble Prime Minister in January, 2023. Initially the programme will cover 500 Blocks across the country. The Programme will be implemented on the pattern similar to Aspirational District Programme. NITI Aayog in partnership with the states will release a quarterly ranking of Aspirational blocks based on their performance on development indicators covering sectors such as Health & Nutrition , Education, Agriculture and Water Resources, Financial inclusion & Skill development and Basic Infrastructure etc. The State Government has selected six relatively under developed blocks as Aspirational Blocks which have also been approved by the NITI Aayog. The names of these Aspirational Blocks are as under:-

1. Pangi Block of District Chamba.
2. Tissa Block of District Chamba.
3. Pooh Block of District Kinnaur.
4. Nirmand Block of District Kullu.
5. Kupvi Block of District Shimla.
6. Chhaohara Block of District Shimla.

IV. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION :

For the implementation and monitoring of various Decentralized Planning Programmes, Regional and District Planning Division has been set up at in the Planning Department. Descriptions of the various activities of Decentralized Planning Programmes are given as under: -

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS):

To ensure people's effective participation towards fulfilling their developmental needs in terms of providing basic infrastructure at the grass root level as well as to supplement Government's efforts/resources, the programme-Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced in the State from 1991-92. Under this programme, people's participation is on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited in the Bank/Post Office accounts opened in the name of concerned Deputy Commissioner. Under this program, Rs 2500.00 lakh was released to all non-tribal districts in the first and second quarter during the year 2023-24. As per the decision of the State Government, the amount due to the districts for the third and fourth quarter was used to compensate for the losses caused due to rain in the state. Under this program, one time amount of Rs 210.00 lakh was released to the tribal districts during 2023-24. A budget provision of Rs. 6050.00 lakh has been kept for the financial year 2024-25 under this scheme.

Salient features of this programme are given below:

1. In urban areas, cost sharing ratio between the Community and the Govt. is 50:50. While in case of Govt. assets like school buildings, health and veterinary institutions, construction of drinking water supply schemes and sewerage schemes and installation of hand pumps where the sharing pattern is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. This facility is only for creation of community assets and not for any family or a person/individuals asset.
2. In rural areas, cost sharing is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. However, in the case of tribal areas, panchayats declared as backward and areas predominantly inhabited by SCs, STs and OBCs, cost sharing is in the ratio of 15:85 between Community and the Govt.
3. Any individual can also get a public asset constructed either as a purely philanthropic nature or to commemorate the memory of his/her ancestors by sharing 50 percent cost of the work.
4. Works are required to be completed within one year from the date of sanction.
5. Community and the Govt. are liable to contribute 10% funds additionally of the cost of work for the maintenance of assets which are to be maintained.

6. All works beyond the estimated cost of Rs. 5.00 lakh are executed through the Government Departments and not by the societies/ local committees.
7. The execution of works up to Rs. 5.00 lakh are ensured under the supervision of the Assistant Engineer/ Junior Engineer of the Rural Development Department and the measurement of the work of each work done is entered in the measurement book of concerned Junior Engineer/ Technical Assistant of the area.

The projects/assets of the following nature can be sanctioned under this programme:

- i) Construction of buildings of Govt. Educational Institutions.
- ii) Construction of multipurpose community/public assets.
- iii) Construction of motor-able roads and ropeways.
- iv) Construction of irrigation schemes/drinking water schemes/ installation of hand-pumps.
- v) Construction of buildings of public health services.
- vi) Provision of important missing links; such as three phases transmission lines, transformers, X-Ray plants, Ambulances etc.
- vii) Setting up of Go-Sadan for stray animals.
- viii) Provision for installing of solar streetlights.

2. Sectoral Decentralized Planning (SDP):

Sectoral Decentralized Planning Programme was started in the State during 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds made by the Planning Department is based on 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to the area of the district as per 1981 Census. Under this program, Rs 10584.20 lakh was released to all non-tribal districts during the year 2023-24. In view of the damage caused due to heavy rains in the state, the State Government has given permission to relief the individuals for reconstruction of retaining walls/breast walls and channelization of Nullahas from the unspent amount till March 31, 2023 under this programme. A budget provision of Rs. 37290.90 lakh has been kept for the financial year 2024-25 under this scheme.

Salient features of this programme are as under:

1. Under this programme, schemes are sanctioned after seeking prior approval of the District-Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
2. Only those developmental works should be considered for execution whose estimates and designs are technically approved by the competent Technical

Authority / Personnel of Govt./ Semi Govt./ Govt. undertakings within the delegated technical powers. The Technical Officer / Authority, who can technically approve the estimates is competent to assess the work and authorize disbursement of payments.

3. The Deputy Commissioners are competent to accord A/A & E/S under SDP subject to the availability of budgetary provisions under selected heads of development and fulfillment of other requirements.
4. Under SDP, neither recurring expenditure / liability can be created nor bunching of sanctions and phasing of work beyond one financial year is allowed. Also, revision of estimates and revision of sanctions are not allowed.
5. The developmental works to be executed under SDP should lead to a community benefit which consists of at least five families. No works benefiting individuals/single family can be taken up under this programme.
6. Under SDP works sanctioned are required to be completed within the same financial year or within one year from the date of sanction. The phasing of work and financial sanction for more than one financial year is not permissible.

3. Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) :

To strengthen the decentralization process, the State Government has started a scheme “Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana” from 1999-2000. This scheme was discontinued in the year, 2001-2002 but restarted in 2003-04 with a budget provision of Rs. 24.00 lakh per constituency. Under this program, Rs 13854.36 lakh was released to all non-tribal districts during the year 2023-24. In view of the damage caused due to heavy rains in the state, the State Government gave special relaxation in the guidelines of this program and allowed reconstruction of retaining wall/breast wall and channelization of Nullahas among the works acceptable under this programme. Under this program, one time amount of Rs 568.43 lakh was released to the tribal districts during 2023-24. Making additional provisions in the guidelines of this programme, the Government, vide this office letter no. PLG(F)RDP/5-1/2022-23-VKVNY dated 30th January, 2024 has decided to include the work of installation/ replacement of overhead and underground power cables in urban and rural areas only for community, along with making provision of funds for completion of incomplete works under Mukhyamatri Lok Bhawan Yojna. A budget provision of Rs. 15000.00 lakh has been kept for the financial year 2024-25 under this scheme.

The other scheme/works of the following nature can be under-taken under this programme:-

1. Construction of rooms in Educational Institutions.

2. Construction of Ayurvedic Dispensaries, Veterinary Institutions & Health Sub- Centres etc.
3. Installation of Hand Pumps.
4. Construction of Motorable / Jeepable link roads in rural areas.
5. Construction of Community Bhawans which can be used for different institution or celebration at village level.
6. Provision of apparatus in Health Institutions which are not already available there such of as X-Ray Plants, Ultrasound machines and ECG machines etc.
7. Purchase of Ambulance for Health Institutions subject to the condition that concerned institution/ department should have full provision for recurring expenditure on it.
8. Construction of small bridge/ culverts on rural roads and foot bridges on different khads, streams etc.
9. Construction of metalled rural paths (concrete based or black topped), on which two-wheeler vehicles could be plied.
10. Water supply schemes for left out hamlets where there is necessity of public taps by providing additional pipes.
11. Irrigation schemes at local level.
12. Construction of Toilets in schools and construction of public toilets & bathrooms in the bus stands.
13. Electrification of left out houses in remote/ rural areas (LT Extensions).
14. Maintenance of school buildings and construction of school playgrounds.
15. Construction of Gym centre in Panchayats & urban areas.
16. Construction and maintenances of Bus Stands.
17. In rural and urban areas, maintenance of Government buildings such as Ayurvedic dispensaries, Veterinary dispensaries, Health Institutions, Community Bhawan, Education Institutions etc.
18. Repair and maintenance of roads in rural and urban areas.
19. WiFi facilities (non-recurring expenditure).
20. Sanction of various facilities like sitting arrangements for students in the schools, sports kits/equipments in schools, beds and blankets in the hospitals, replacement of motor pumps for water supply.
21. Provision for Grant to registered Mahila Mandals for purchase of utensils and furniture and grant to registered Yuvak Mandals for purchase of Sports equipment's and also grant to registered Self Help Groups for purchase of

above items (Maximum Rs. 50,000/- per Mahila Mandal/ Yuvak Mandal/ Self Help Group).

22. Construction of Shaheedi Dwars in commemorating the sacrifices of martyrs.
23. MLAs can recommend funds from their own funds (up to Rs. 15 lakh) to further expand the community hall to be built under the “Mukhyamantri Lok Bhawan” programme.
24. The work of installation/ replacement of overhead and underground power cables in urban and rural areas only for community benefit.
25. MLAs can recommend funds for completion of incomplete works under Mukhyamatri Lok Bhawan Yojna.
26. The Hon’ble MLAs can make recommendations for construction of houses for any category of beneficiaries as per the guidelines of ‘Mukhya Mantri Awas Yojana’, under the scheme.

4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY):

To provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca. Beside this, construction of small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas is taken up under the scheme. The State Government has permitted construction of jeepable/tractorable link roads upto 2.00 km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. Under this program, Rs 891.00 lakh was released to all non-tribal districts during the year 2023-24. A budget provision of Rs. 980.10 lakh has been kept for the financial year 2024-25 under this scheme.

Salient features of this programme are given below:

1. Under this scheme, allocation of funds to the districts is made based on total rural population and total number of inhabited villages in the district on 50:50 ratios as per 1991 census.
2. Under the programme neither recurring expenditure / liability can be created, nor construction of kutch path is allowed.
3. The works executed out of this scheme fund will be maintained by the concerned Panchayats from their own resources / revenue. Affidavit to this effect is to be obtained from the concerned Panchayats before the sanction of work.
4. Only those developmental works should be considered for execution where estimates and designs are technically approved by the Rural

Development Department J.E./A.E./XEN according to their technical powers.

5. Under this programme the schemes / works to be implemented are to be approved by the District Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
6. The works are to be completed within the sanctioned amount and no additional / revised sanction of funds will be permitted.
7. The road alignment should be got approved from the PWD, so that the Jeepable roads can be later on upgraded into normal Bus roads, as per the PWD norms.

5. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS):

Member of Parliament Local Area Development Scheme is governed by a set of guidelines, which were first issued in February, 1994 and have since been revised from time to time. The Ministry of Statistics & Programme Implementation has released the latest revised guidelines, which have become effective from 1st April, 2023. The entire process of fund flow under the new guidelines will operate on an IT platform (E-SAKSHI), which will allow to monitor the status of the funds and works of all the stakeholders including Hon'ble Members of Parliament and Central and State Government agencies. Under this scheme, MPs recommend works of developmental nature to be taken up in their constituencies as well as works of national priorities. Rs 5.00 Crore per MP per annum is allowed to be released by Government of India for various works on the recommendations of the Hon'ble MP. One day workshop was organised in Shimla on revised fund flow procedure and revised MPLADS Guidelines on 5th March, 2024.

Indicative list of works permissible under MPLADS

1. Public and Community Building
2. Public conveniences, safety and security
3. Education
4. Public Health
5. Drinking water and sanitation
6. Irrigation, drainage and floods control systems
7. Animal husbandry, dairy and fisheries
8. Agriculture and farmer welfare
9. Energy supply and distribution systems
10. Railways, roads, bridges and pathways
11. Environment, wild animals, forest and other natural resources
12. Public recreational facilities, sports and parks

V. Externally Aided Project (EAP) & Innovation Division :

1. Externally Aided Projects (EAPs):

Externally Aided Projects (EAPs) play very important role to supplement State's own resources. EAPs are especially important for a hilly state like Himachal Pradesh which is amongst the eleven special category states and get loan component of funds under EAPs in the 90:10 ratio of grant and loan from GoI.

Externally Aided Project (EAP) Division in the Planning Department has been assigned the task of analyzing the project proposals of different departments submitted for seeking funding from external agencies. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors the progress of all the EAPs being implemented in the State. This division serves as a single window for the different donors for identification, appraisal, and feedback in respect of EAPs. Administrative Secretary (Planning), Government of HP has been declared as State Nodal Officer for all Externally Aided Projects (EAPs) in Himachal Pradesh.

The State Government is implementing Externally Aided Projects (EAPs) in the sectors of Public Works, Forestry, Irrigation & Public Health, Power, Agriculture, Horticulture, Urban Development etc. The implementation of these projects would help in achieving the objectives of increasing productivity and raising the quality of life especially of the rural masses.

A Preliminary Project Report (PPR) is required to be prepared with tentative financial details before a project is submitted to GoI for external assistance on the formats prescribed for external assistance from External Donor Agencies. The necessary guidelines in this regard are circulated to all the departments from time to time for compliance. As per guidelines of Government of India for posing, implementation and monitoring of externally aided projects, all such proposals are being reviewed/approved by a State Level Screening Committee before sending the proposals to GoI.

From 1st November 2018 onwards, in case of State Sector, project proposals are to be submitted online through a web portal of Department of Economic Affairs (DEA) for seeking external assistance from External Donor Agencies. Adviser (Planning) has been nominated as State Nodal Authority for operationalization of this portal. Planning Department has accordingly revised the existing guidelines by preparing comprehensive & simplified guidelines and procedure for preparing State Sector proposals for further posing them to GoI through online portal for funding. List of ongoing EAPs, Pipeline projects, agreements signed during 2023-24 is as under: -

1. On-going projects of Himachal Pradesh under Externally Aided Projects (EAPs) during 2023-24 :

S. N.	Name of the Project	Sector	Cost (Rs. in Cr.)	Donor Agency	Starting Date	Concluding Date
1	2	3	4	5	6	7
1.	HP Forest Eco-System Climate Proofing Project	Forest	308.45	KfW	Dec-2015	Mar-2026
2.	HP Forest Eco-system Management & Livelihood Improvement Project	Forest	800.00	JICA	Apr-2018	Mar-2028
3.	Integrated Development project for Source Sustainability & Climate resilient Rain-fed Agriculture	Forest	700.00	World Bank	Mar-2020	Mar-2025
4.	Sustainable Management for Forest Ecosystem Services in the Western Himalayas (HIMFES)	Forest	32.00	BMZ	Sep-2021	Sep-2024
5.	HP Horticulture Development Project	Horticulture	1,066.00	World Bank	June-2016	June- 2024
6.	HP SHIVA	Horticulture	1,292.00	ADB	June-2023	June-2028
7.	Green Energy Corridor-I	Power	840.00	KfW	Oct- 2015	June-2024
8.	Deothal Chanju and Chanju-III	Power	692.00	AFD	July-2017	Sep-2026
9.	HEPs -Devi Kothi (15 MW), Sai Kothi-I (15MW), Sai Kothi-II (16.50 MW) & Hail (18MW)	Power	880.00	KfW	Oct- 2022	June-2030
10.	HP Power Sector Development Programme	Power	2,000.00	World Bank	Dec-2023	June-2028
11.	HP Skill Development Project	Tec. Edu.	650.00	ADB	May-2018	Jun-2024
12.	HP Water Supply & Sewerage Project	UD	280.01	World Bank	Apr-2019	Dec-2025
13.	Shimla HP Water Supply & Sewerage Service Delivery Programme Program	UD	1,825.00	World	Dec-2021	Dec-2025
14.	HP State Road Transformation Project (HPSRP-II)	Public Works	799.68	World Bank	Oct- 2020	Sep-2026
15.	HP Crop Diversification Promotion Project, Phase-II	Agriculture	1,010.60	JICA	Jul- 2021	Dec-2029
16.	HP Rural Water Supply	Jal Shakti	745.000	NDB	Jan- 2022	Aug-2025
17.	HP Rural Water Improvement & Livelihood Project	Jal Shakti	1,062.83	ADB	Nov-2022	Jun-2028
18.	HP Sanitation and Water Supply in Five Towns	Jal Shakti	817.00	AFD	Mar-2023	Mar-2026
	Total Cost of the Projects		15,801.15			

2. Externally Aided Projects (Pipeline) during 2023-24

S. N.	List of Projects	Sector	Proposed Cost (Rs. in Crores)	Proposed Donor Agency
1	2	3	4	5
1	Infrastructure Development Investment Program for Tourism for Himachal Pradesh	Tourism	2,357.00	ADB
2	HP Disaster Risk Reduction and Preparedness Project	Revenue-Disaster Management	800.00	AfD
3	Construction & Implementation of Innovative Urban Transportation Project in Shimla (Ropeways, Lifts & Escalators)	Transport	1,546.00	NDB
Estimated Total Cost of Projects			4,703.00	

3. Externally Aided Projects signed during 2023-24:

S. N.	Name of Project	External Agency	Nodal Department/ Sector	Project Cost (Rs. in Cr.)	Status
1	2	3	4	5	6
1.	HP SHIVA	ADB	Horticulture	1,292.00	Loan agreement signed with the Asian Development Bank on 8 th June, 2023.
2.	HP Power Sector Development Programme	World Bank	Power	2,000.00	Loan Agreement signed with World Bank 6 th November 2023.

2. Innovation :

2.1 Innovation at State Level:

With the pledge to transform Himachal Pradesh into an Innovative State and to promote innovation through sharing of experiences across various sectors within State and to encourage departments to try new initiatives, following initiatives are being taken by State Government:

State Innovation Council (SInC) - Apex Body for promotion of Innovation at State level - State Government constituted HP State Innovation Council in 2011 under the Chairpersonship of Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh giving representation to major departments, technical institutes & universities of the State as an apex body to institutionalize the innovative processes & practices by providing a common platform for local talents, competencies, resources & capabilities.

Objective of Fund:

- To encourage the government departments to try new initiatives.
- To promote excellence & creativity in the functioning of Government Departments with a view to improve the service delivery for the general public.

To further pave the way to innovative ideas, council has further adopted *three pronged strategy* at State level through:

- I. State Innovation Fund**
- II. HP State Innovation Award Scheme**
- III. Innovation at State Level**

I. State Innovation Fund instituted to meet the need of gap-funding for transforming new and innovative ideas into reality with their replicability at an economic cost. State Innovation Fund created in 2013-14 with a view to fund innovative projects of various departments. Following fifteen schemes/projects of various Departments have been funded from State Innovation Fund (SInF):

- Manimahesh Yatra Registration Project of District Administration Chamba
- Blood Bank Management Information System (BBMIS)
- Computerization/automation of activities of Department of Information & Public Relation

- Video Conferencing facilities in Head Office, Zonal Offices & Tribal Circles.
- Document Management System of Ration Card Forms.
- Digitization of Special section of HPKV University library focused on HP
- Online Planning permissions Project of Town & Country Planning Department
- Digitization of Himachal Pradesh Secretariat Library
- Online Inventory Application for Medicines/Semen Straws
- Implementation of the first phase of the automation of Allotment & Administrative wing of HIMUDA
- Developing a prototype of continuous garbage collecting mechanism collecting garbage without any intervention or wastage of time
- Development of Modern State-of-the-Art Digital Forensic Facilities in Forensic Science Laboratories in HP of RFSL, Mandi
- Setting up of video conferencing facility at RFSL, NR, Dharamshala
- Setting-up of Mini Herbal Garden & Acupressure track in Ayurvedic Health Centre, Cheog, District Shimla
- Horn Not Ok Campaign

II. HP State Innovation Award Scheme has been started from 2014-15 to provide financial incentives to the innovative ideas projects which were initiated & completed by an individual/ departments/ institutes at their own and are further replicable at an economic cost & satisfy a need of general public at large. Innovations which improve service delivery & bring out positive impact in the society are being recognized & rewarded at State level. Initially six sectors have been identified for awarding the best innovation practices, now there are nine sectors. One best innovation of each sector is selected based on award criteria after scrutiny at Sectoral level and is further recommended to State Innovation Council (SInC) for awards at State level. Detail of awards conferred till date is as under:-

Award winning Innovations for 2014-15:
1. Localized Generic para pheromone based bottle trap effective against fruit flies.
2. हिमाचल प्रदेश के जिलों के लिए भूकम्प प्रतिरोधी गैर इंजिनियरिंग भवन निर्माण मार्ग निर्देशिका
3. Removal of biological and physical impurities from drinking water through development of Low Cost Bio-Sand Filter

Award winning Innovations for 2015-16:
1. Tele-stroke Project in Social Development Sector.
2. High yielding varieties of climate resilient species of commercial crop Harar (Terminalia Chebula).
3. Ready to cook spice mix - the products.
4. UDAAN Program to address learning gaps among children of Standard 3-5.
5. e-Services Project in Government Sector.
Award winning Innovations for 2016-17:
1. A stem cutting propagation technology in capsicum, tomato and cucumber
2. Mission for on-time text book delivery in Elementary Education Department
3. Domestic Solar Water Heating Panel for Mountains (Solar Hamam)
4. Har Hath Ko Kaam campaign of Prisons & Correctional Services department
Award winning Innovations for 2017-18:
1. Exploration of Traditional Fermented Foods of HP to prepare Innovative Health Promoting Functional Food Products with Special Therapeutic Effects.
Award winning Innovations for 2018-19:
1. Mukhyamantri Seva Sankalp Helpline (1100).
Innovation Awards for 2019-20 2020-21 & 2021-22 :
The recommendations for 2019-20 , 2020-21 & 2021-22 are at finalization stage.

III. Innovation at State Level (Swarn Jayanti District Innovation Fund):

The State Government has established “Swarn Jayanti District Innovation Fund” in 2021, to improve Governance and to promote healthy competition among the District(s).

It seeks to promote innovation for improved service delivery and intends to supplement resources and technical know-how available with various Government departments, institutions, and organizations.

Proposals recommended by the District Innovation Council are routed to the Planning Department for scrutiny, subsequently eligible proposals are to be approved by State Innovation Council for funding under the scheme.

At the State Level, the Planning Department is the Nodal Department to oversee the implementation and monitoring of the scheme. At district level District Innovation Council is responsible for implementation and periodic review of progress of the funded projects.

VI. NABARD – RIDF Division:

Rural Infrastructure Development Fund Programme under NABARD extending loan assistance to the State Governments for the completion of ongoing projects/ Really New Schemes in the areas of Medium and Minor Irrigation, Soil Conservation and other Rural Infrastructure Development Projects like Rural Roads and Market Yards, have been implemented since **RIDF-I (1995-96)**. This programme was continued as **RIDF-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII & XXIX** in the successive Annual Budgets. Under RIDF-I, NABARD had provided loan assistance **upto 50%** of the balance cost of ongoing projects. Later on, loan assistance was provided **upto 90% / 95%** for new eligible projects under successive RIDF tranches.

2. The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Government has got projects approved or has posed projects to NABARD for funding are :-

- (i) Construction of Roads and Bridges.
- (ii) Construction of Irrigation schemes.
- (iii) Construction of Flood Protection Works.
- (iv) Construction of Primary School Buildings (under SBVSY).
- (v) Construction of Drinking Water Supply Schemes.
- (vi) Establishment of Citizen Information Centres.
- (vii) E-Governance.
- (viii) Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.
- (ix) Watershed Development Projects.
- (x) Strengthening of Animal Health Infrastructure.
- (xi) Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).
- (xii) Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.
- (xiii) Construction of CA Stores.
- (xiv) Saur Sinchayee Yojna.
- (xv) Pushp Kranti Yojna.
- (xvi) Ropeways
- (xvii) Sewerage Scheme

3. The NABARD has sanctioned total loan assistance of Rs. 11,959 crore in favour of Himachal Pradesh upto 31st March, 2024. The tranche-wise break-up is given as under :-

(Rs. in crore)

Sr. No	Tranche No.	Duration/Phasing Period	No. of Schemes Sanctioned	NABARD Loan Sanctioned	State Contribution	Total Amount Sanctioned
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	RIDF-I	1995-96 To 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
2	RIDF-II	1996-97 To 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
3	RIDF-III	1997-98 To 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
4	RIDF-IV	1998-99 To 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
5	RIDF-V	1999-2000 To 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
6	RIDF-VI	2000-01 To 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
7	RIDF-VII	2001-02 To 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
8	RIDF-VIII	2002-03 To 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
9	RIDF-IX	2003-04 To 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
10	RIDF-X	2004-05 To 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
11	RIDF-XI	2005-06 To 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
12	RIDF-XII	2006-07 To 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
13	RIDF-XIII	2007-08 To 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
14	RIDF-XIV	2008-09 To 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
15	RIDF-XV	2009-10 TO 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
16	RIDF-XVI	2010-11 TO 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
17	RIDF-XVII	2011-12 TO 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
18	RIDF-XVIII	2012-13 TO 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
19	RIDF-XIX	2013-14 TO 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
20	RIDF-XX	2014-15 TO 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
21	RIDF-XXI	2015-16 TO 2018-19	170	644.94	60.75	705.69
22	RIDF-XXII	2016-17 TO 2019-20	125	545.54	60.20	605.74
23	RIDF-XXIII	2017-18 TO 2020-21	181	510.60	50.54	561.14
24	RIDF-XXIV	2018-19 TO 2021-22	204	544.21	86.04	630.25
25	RIDF-XXV	2019-20 TO 2022-23	184	752.47	72.83	825.30
26	RIDF-XXVI	2020-21 TO 2023-24	251	844.22	82.02	926.24
27	RIDF-XXVII	2021-22 TO 2024-25	208	1134.33	123.27	1257.60
28	RIDF-XXVIII	2022-23 TO 2025-26	175	912.16	95.93	1008.09
29	RIDF-XXIX	2023-24 TO 2026-27	155	918.81	87.26	1006.07
		GRAND TOTAL (I TO XXIX)	6754	11959.89	1218.54	13178.43

4. Against the above sanctioned NABARD loan assistance of Rs. 11,959 crore, the State Government has availed Rs. 9,293.50 crore upto 31.03.2024 from the NABARD. Year-wise detail of reimbursement availed under RIDF Programme from 1995-96 to 2023-24 is as under:-

Year	Reimbursement Availed (Rs. In crore)
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
2016-17	500.00
2017-18	500.00
2018-19	625.76
2019-20	700.00
2020-21	663.54
2021-22	699.98
2022-23	839.28
2023-24	800.00
Total	9293.50

5. Project Sanction Target & Achievement (from 2006-07 to 2023-24) :-

(Rs. In crore)

Sr. No.	Year/Tranche	Project Sanction Target	Achievements	% age
1.	2006-07(XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08(XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09(XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10(XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11(XVI)	560.00	412.90	73.73
6.	2011-12(XVII)	540.00	423.69	78.46
7.	2012-13(XVIII)	500.00	432.16	86.43
8.	2013-14(XIX)	475.00	496.09	104.44
9.	2014-15(XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47
11.	2016-17 (XXII)	545.00	545.54	100.10
12.	2017-18 (XXIII)	500.00	510.60	102.12
13.	2018-19 (XXIV)	515.00	544.21	105.67
14.	2019-20 (XXV)	700.00	752.47	107.50
15.	2020-21 (XXVI)	800.00	844.22	105.53
16.	2021-22 (XXVII)	1000.00	1134.33	113.43
17.	2022-23 (XXVIII)	800.00	912.16	114.00
18.	2023-24 (XXIX)	800.00	918.81	114.85

6. The Planning Department is the Nodal Department for processing the projects to NABARD for sanction and monitoring of the projects sanctioned under the RIDF programme.

7. Details of RIDF review meetings held during the year 2023-24:

Sr. No.	Name of the Meeting	Date and Place of meeting	Under the Chairmanship
1.	2.	3.	4.
1.	64 th HPC meeting on RIDF.	14 th June, 2023 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
2.	65 th HPC meeting on RIDF.	13 th December, 2023 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
3.	MLAs meetings	29 th and 30 th January, 2024 (Shimla)	Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.
4.	66 th HPC meeting on RIDF.	2 nd March, 2024 (Shimla)	Pr. Secretary (Planning) to the GoHP.

In addition to above mentioned meetings, review meetings were held on regular intervals in the Regional Office, NABARD Shimla. The representatives of implementing departments, NABARD and Planning Department attended these meetings. Scheme wise physical and financial progress of each department was reviewed and monitored in these meetings and implementing departments were advised to take corrective actions where required. Review meetings are also held at the level of concerned Administrative Secretary and HOD and at District level by the Deputy Commissioners.

VII. Evaluation Division:

Evaluation involves systematic and objective assessments of the implementation process of various on-going or completed schemes and programmes including the design, implementation and results with the aim to determine its effectiveness, impact and sustainability and to suggest remedial measures for making these schemes and programmes more effective. Since 1973 to 2020 Planning Department has completed 41 Nos. of evaluation Studies while from 2020 to 2023 onwards 8 more studies have been completed. The details of Studies are as under:-

Evaluation Studies completed/ in progress since 2020 onwards

Sr. No.	Name of Evaluation Studies	Status
1.	Amelioration of Housing Problem through State Housing Scheme in HP.	Completed
2.	Role of MGNREGA in the Enhancement of Women Status in HP.	Completed
3.	Development of Sericulture Industry in HP.	Completed
4.	Status of Primary Agriculture Credit Scheme in HP.	Completed
5.	Output and Performance based Road Contract for the Maintenance.	Completed
6.	State Mission for Food Processing in HP.	Completed
7.	Assessing functionality status of Separate girl's toilet and Hygiene & Sanitation conditions of Government Schools in HP.	Completed
8.	Home Stay Yojana in HP.	Completed

Moreover, Planning department also has empanelled 6 agencies/organisations for conducting surveys/ evaluation studies/ impact assessment studies of various departments/ boards and corporations of the State Government. All the departments of State may hire the empanelled agencies for conducting the evaluation studies.

VIII. MLA PRIORITY DIVISION :

MLA Division has performed following works during the financial year 2023-24:-

1. The minutes of MLAs meetings held during 2023-24 were issued to all the departments / organizations for taking suitable follow-up actions. The action taken report of these meetings was obtained from the concerned departments. The ATR was consolidated and circulated to all the concerned MLAs for their information.
2. The MLAs meetings to determine the MLAs priorities for Annual Budget 2024-25 were convened under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister HP on 29th and 30th January, 2024 and the minutes of these meetings have been issued to all the concerned departments for taking further action.
3. As per the approved policy of the State Government, total six schemes under RNS were prioritized and allowed to include by the Hon'ble MLAs under three sectors i.e. **Roads & Bridges, Minor Irrigation and Rural Drinking Water Supply/Sewerage Schemes** till the completion of financial year 2023-24. As per decision taken in the MLA Priority Meeting held on 29th and 30th January, 2024, the State Government has decided that now only 05 MLA Priority Schemes instead of 06 MLA Priority Schemes will be prioritize by the Hon'ble MLAs from the financial year 2024-25 under development Heads i.e., **Roads & Bridges, Minor Irrigation, Rural Drinking Water Supply/Sewerage Schemes "Really New Schemes (RNS), Repair & Maintenance and Electric Bus Service including Charging Station** (on any five routes where HRTC diesel buses are already running). However, Hon'ble MLAs may change inter sectoral priorities with in the three sectors i.e., **Roads & Bridges, Minor Irrigation, Rural Drinking Water Supply/Sewerage Schemes "Really New Schemes (RNS)** or he may give three priorities in one or two or three sectors. One Priority related to Repair & Maintenance (in any one sector from above mentioned three sectors) and only one priority can be including Charging Station for running Electric Buses under the Transport Department.
4. Accordingly, MLAs priorities were collected, consolidated and finally printed as "नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2024-25". It is one of the Documents for 2024-25 Budget.
5. The works related to MLAs priority are of varied nature. Various proposals for substitution of schemes were received from the various Hon'ble MLAs during the financial year 2023-24. Actions on the substitution proposals were taken as per approved policy of the State Government. Implementing departments were asked to take the follow-up actions accordingly. Concerned MLAs were also informed about the decisions taken in each substitution case.

IX. COMPUTERISATION DIVISION:

Computerization Division has been constituted for fulfilling the computer needs of Planning Department. All reports / publications published by the Planning Department are processed on computer and later-on get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software development for the department and has developed the following software's for different Divisions of Planning Department:

1. Development and updating of GIGW based Department Web site.
2. Development and updating of departmental software of **Development Budget Monitoring**.
3. Development and updating of departmental software of **Plan Formulation Monitoring**.
4. **MLAs Priority Scheme(s) Monitoring:**
 - I. Hon'ble MLAs Dashboard
 - II. Planning Department Dashboard
 - III. IPH Department Dashboard
 - IV. PWD Department Dashboard.
5. Annual Development Budget 2023-24.
6. e-salary Payroll/ADA/Pay Scale Arrear of Department.
7. Backward Area Sub-Plan, District/SOE-wise allocation of budget outlays.
8. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/ Schemes.
9. Power Point Presentations on various meetings in the department.
10. Assistance to all Divisions of Department about hardware and software application.
11. e-service book of all employees of department
12. e-Vitran – Himkosh working.
13. MPLADs Software Monitoring.
14. Decentralized MIS Software Monitoring.
15. E-Vidhan work / Monitoring
16. GeM, E-Samadhan, Himpragati, e-SamikSha, CM Sankalp etc.

4.3 DISTRICT OFFICES:

District Planning Cells has been created in all the ten Non-Tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners. The Additional Deputy Commissioner / Additional District Magistrate, as the case may be, has been declared as Chief Planning Officer. The District Planning Cells are headed by the District Planning Officers. They are functioning as Drawing & Disbursing Officers at district level. The following staff has been provided in District Planning Cells :-

1.	District Planning Officer	:	One Post
2.	Credit Planning Officer	:	One Post
3.	Assistant Research Officer	:	One Post
4.	Statistical Assistant	:	One Post
5.	Sr. Assistant	:	One Post
	(two posts each in District Shimla, Mandi and Kangra).		
6.	Steno-Typist/JOA(IT)	:	One Post
7.	Clerk	:	One Post
8.	Peon	:	One Post

All the decentralized planning programmes such as VMJS, SDP, VKVNY, MMGPY, MPLADs, BASP, etc are being implemented at district level through the concerned District Planning Cell. Works related to Aspirational District Program and Aspirational Block Program are also being executed through the respective District Planning Cells. The collection of data for evaluation studies carried out by the department are also collected through District Planning Cells at district level. District Planning Cells have been assigned the job of monitoring and reviewing of ongoing Plan Schemes, 20-Point Programme and all decentralized programmes mentioned above through District Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committees on quarterly basis. District Planning Officers function as Public Information Officer of Planning Department at district level. District Planning Cells have proved extremely useful at district level in fulfilling the objective of decentralization of planning process of the State Government. All assignments of the department required to be undertaken at district level are performed through District Planning Cells.

4.4. INFORMATION UNDER RTI ACT-2005:

Information related to the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005.

(i) Particulars of organization, functions and duties.

Please see heading :

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION

2. ORGANISATIONAL STRUCTURE of the report.

(ii) Powers and duties of its Officers and Employees.

Adviser (Planning): Overall administrative and financial control of the Department. He helps Principal Secretary (Planning) to the Govt. of HP in discharging various responsibilities to achieve organizational goals. Adviser (Planning) works under the overall control of Principal Secretary (Planning) to the Govt. of Himachal Pradesh.

Joint Director (Planning): He has been declared as Head of Office of Planning Department. He assisted Adviser (Planning) in discharging various responsibilities and accomplished tasks related to Administration, Plan Formulation, Plan Implementation, Sustainable Development Goals, Regional & District Planning and liaising with the Niti Ayog, Government of India assigned to him from time to time.

Deputy Directors: The Deputy Directors headed various Divisions such as EAP, Innovation, Project Formulation, Evaluation, Employment, Computerization, MPLADS, Backward Area Sub-Plan, Twenty Point Programme, Railways, MLA Priorities, RIDF and RFD. They assisted the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals.

Research Officers: The Research Officers assist the Joint Director & Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Joint Director & Deputy Directors through Research Officers.

District Planning Officers: The staff provided to the District Planning Officers and duties performed by them are given under heading “**4. DISTRICT OFFICES**”.

Assistant Research Officers: Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level.

Statistical Assistants: Deal with the various works/ proposals / correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level.

Computer: Working in the Plan Formulation division of the department. They perform their duties and functions as assigned to them by the Officer of concerned divisions.

System Analyst : The System Analyst is the in-charge of the Computer Cell. He develops software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.

Programmer: He helps System Analyst to develop software and other computer related works.

Programme Planning Officer (PPOs) : He helps in developing software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.

Computer Operator: He assists the Programmer/PPOs in software development, data feeding and render the computer related technical help and guidance to the department. But this post is lying vacant in this time period.

Superintendent Gr.-I: All the files of Administration Division are put-up to Superintendent Gr-I through Superintendent Gr-II with the administrative proposals for taking decisions at higher level. This post is lying vacant during this period.

Superintendent Gr.-II: All the Senior/Junior Assistants, clerks and JOAs of Administration Division submit the files through Superintendent Gr.-II. He puts up the files to Superintendent Gr.-I/ DDO for final decision at appropriate level.

Senior Assistants/Junior Assistants: Deal with administrative, personnel, budget, organizational matters, etc. and also works assigned by Superintendent/DDO/Higher Officers.

Clerks : Perform duties and functions as assigned to them by HOD/Superintendent Gr-I/ DDO/Supdt. Gr.-II including the work of diary dispatch of the Department.

Junior Office Assistant (IT) (JOAs) : Perform duties and functions as assigned to them by Superintendent Gr-I/DDO/Supdt.Gr.-II including the work of diary dispatch of the Department.

Private Secretary/Personal Assistant/Sr. Scale Stenographer/Jr. Scale Stenographers: Perform duties with Head of Department, Joint Director/ Deputy Directors. These officials attend work such as dictation / typing work /attend to the

telephone calls, handle the files / records of confidential or secret nature and any other work assigned by the officer.

Steno Typists: Perform duties of dictation and typing work with the officers.

Duplicating Machine Operator: To operate the Photostat machines of the Department.

Peons: They perform the duties as per office manual.

Jamadar: (i) to attend to the calls of Minister/ Officer with whom posted.
(ii) to ensure the cleanliness and the general up-keep of the room and the furniture, fixture and equipment and to carry and distribute the office file/dak.

Sweeper: To sweep, clean and mop the rooms, corridors, verandahs. Clean lavatories, urinals, washbasins, etc daily and properly. To collect and dispose off all waste in the office.

(iii) Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability.

Adviser (Planning) exercises all the powers of Head of Department. All the officers of the department assist him in taking decisions and disposing of the normal work of the department.

The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the Joint Director/ Divisional Heads for final decision/ disposal. Divisional Heads are responsible and accountable for supervision and timely disposal of work in respect of their division (s).

(iv) Norms set by it for the discharge of its functions.

Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules / policies and delegation of powers made by the Government / HOD from time to time.

(v) Rules, Regulations, Instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.

The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under:-

1. CCS Leave Rules, 1972.

2. CCS and CCA Rules
3. HPFR Rules
4. FR & SR Rules
5. Medical Attendance Rules
6. House Building Advance Rules
7. L.T.C. Rules/T.A. Rules
8. Budget Manual
9. Office Manual
10. Pension Rules
11. GPF Rules/ EPF Rules

Guidelines for implementation of the following programmes:-

1. Sectoral Decentralized Planning (SDP)
2. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS)
3. Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojna (VKVNY)
4. Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY)
5. Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADs)
6. Backward Area Sub Plan (BASP)
7. Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)
8. Externally Aided Projects (EAPs)
9. District Innovation Fund (DIF)
10. H.P. State Innovative Fund (SIF)
11. Aspirational District Programme & Aspirational Block Programme

Guidelines/instructions issued by the Government from time to time are uploaded on the website of Planning Department can be used by officers and officials for discharging their functions and duties. The Administrative report containing the programmes alongwith organizational structure detail is uploaded on the website of Planning Department.

(vi) Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control.

Five year Plans / Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid Term Review of Five Year Plans. MLA Priorities Schemes document, Reports and Annual Administrative Report. Drishti Himachal Pradesh-2030 on Sustainable Development Goals, Jan Adhikar Pustika, Initiatives of Himachal Pradesh Government for improving Ease of Living in Himachal Pradesh.

(vii) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.

The State Government has constituted HP State Planning Board, State Level Planning Development Twenty Point Programme Review Committee at State level and District Planning Development and Twenty Point Programme Review Committee at District level as well as Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees. Public representatives have been nominated by the State Government in these committees. Nominated public representatives give their opinion/suggestions regarding policy formulation and implementation at State, District and Sub Divisional level. Apart from this, MLAs meetings to identify the State Annual Plan priorities are also held. Hon'ble MLAs give their valuable suggestions regarding formulation of policies, programmes and implementation.

(viii) A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.

The following Boards/Committees have been constituted in the department:-

- (1) Himachal Pradesh State Planning Board.
- (2) State Level and District Level Planning Development & Twenty Point Programme Review Committee.
- (3) Himachal Pradesh State Innovation Council.
- (4) Central Sector Projects Coordination Committee (CSPCC).
- (5) State Level Inter Departmental Project Coordination & Monitoring Group (SLIDPMG).
- (6) High Powered Committee of NABARD (R.I.D.F.)
- (7) State Level Committee for the co-ordination and Monitoring of Convergence, Integration & Focused.
- (8) State Level Sanctioning Committee (SLSC) related to centrally sponsored schemes of Flexi-Funds
- (9) State Level Monitoring Committee (SLSC) of MPLADS.
- (10) For approval of Externally Aided Projects, State Level Monitoring Committee (EAP).

Meetings of these Committees/Boards are not open for public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.

(ix) A directory of its officers and employees;

Detail given under heading “**2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT**”.

- (x) The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;**

The Officers and the employees appointed in the Department get the Pay Band and Grade Pay as granted by the Government from time to time.

- (xi) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;**

The Planning Department allocates funds on quarterly basis to the implementing departments and Deputy Commissioners for plan schemes and other various decentralized planning programmes according to the guidelines, formula and instructions issued by State Government from time to time. The division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. have been given in the write-up of each divisions.

- (xii) The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;**

There is no subsidy programme being executed directly by the department.

- (xiii) Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it,**

Not applicable.

Only Plan budget authorizations to incur an expenditure are granted by the Planning Department to all the implementing departments (concerned with Plan) and Deputy Commissioners.

- (xiv) Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;**

The information relating to the various activities under different divisions of the Department is available on the website <http://planning.hp.gov.in>.

- (xv) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library, or reading room, if maintained for public use.**

The public can have information from the district offices of Planning Department or its Headquarters i.e. Yojna Bhawan, HP. Sectt. Shimla-2 from 10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except on public holidays.

(xvi) The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

Sr. No	Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority	Designation	Address with Telephone No.	Jurisdiction/ Unit under his control for which he will render information to applicants
1.	2.	3.	4.	5.
(A) SECRETARIAT LEVEL				
1	Sh. Devesh Kumar, Appellate Authority	Principal Secretary(Planning) to the Govt. of H.P.	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2. Tel.No.0177-2621904	Planning Department at Sectt. level.
2	Sh. Ramesh Chand Sharma P.I.O.	Joint Secretary (Plg.) to the Govt. of H.P.	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.0177-2628501	Planning Department at Sectt. level.
(B) STATE LEVEL				
1	Dr. Basu Sood Appellate Authority	Advisor Planning/Head of Department	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 0177-2621698	Planning Department at State level.
2	Sh. Suman Lal, P.I.O	Superintendent Grade-II	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.0177-2880840	Planning Department at Headquarter Level.
(C) DISTRICT LEVEL				
1.	Sh. Anuj Thakur, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Bilaspur Telephone No. 01978-222668	Concerned District.
2	Sh. Jeevan Kumar Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Chamba. Telephone No. 01899-226166	Concerned District.
3	Sh. Arun Chaudhary Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Hamirpur Telephone No. 01972-222702	Concerned District.

4	Sh. Alok Dhawan, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Kangra at Dharamshala Telephone No. 01892-223316	Concerned District.
5	Sh. Jawahar Lal Verma, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Kullu Telephone No. 01902-222872	Concerned District.
6	Sh. Vinod Kumar Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office , Mandi. Telephone No. 01905-225212	Concerned District.
7	Sh. Ajay Rattan, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Shimla Te.No.2808399	Concerned District.
8	Sh. Sanjay Parmar, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office, Sirmour at Nahan Telephone No. 01702-224219	Concerned District.
9	Smt. Abha, Public Information Officer	Assistant Research Officer	District Planning Cell, DC Office, Solan Telephone No. 01792- 223702	Concerned District.
10	Sh. Sanjay Sankhyan Public Information Officer	Credit Planning Officer	District Planning Cell, DC Office , Una Telephone No. 01975-226057	Concerned District.

(xviii) Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year.

1. Status of RTI applications received w.e.f. 01-04-2023 to 31-03-2024 are as under:-

At Headquarters level:-

Total Applications Received	Disposed Off	Pending
15	15	0

At Districts Level:-

S. N.	Name of Districts	No. of applications received	No. of applications disposed off	No. of applications pending
1	2	3	4	5
1	Bilaspur	03	03	0
2	Chambha	24	24	0
3	Mandi	05	05	0
4	Hamirpur	04	04	0
5	Kullu	01	01	0
6	Solan	02	02	0
7	Kangra	15	15	0
8	Una	09	09	0
9	Shimla	19	19	0
10	Sirmaur	08	08	0

2. Information related to e-Samadhan:-

Application Type	Received	No Action	In Progress	Disposed Off
Development Related	5	0	0	5
Public Grievance	56	0	0	56
Total	61	0	0	61
